उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973

{राष्ट्रपति अधिनियम सं0 11, वर्ष 1973}

THE UTTAR PRADESH URBAN AND COUNTRY PLANNING AND DEVELOPMENTACT, 1973

[PRESIDENT'S ACT NO. 11 OF 1973]

उत्तर प्रदेश [7]{नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास} अधिनियम, 1973[1]

{राष्ट्रपति अधिनियम सं0 11, वर्ष 1973}

उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में नियोजन के अनुसार विकास के लिए तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

{भारतीय गणराज्य में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——}[2]

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—— {(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में [7]{उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973} होगा।}[3]

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा, सिवाय छावनी क्षेत्र और सैन्य उद्‌देश्य हेतु केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन आने वाली अथवा उसके द्वारा पट्‌टे पर ली गई भूमि के।

परिभाषाएं

2—— इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''सुविधा'' के अन्तर्गत सड़क, जलापूर्ति, सड़कों पर प्रकाश, नाली, सीवर, सार्वजनिक पार्क और अन्य ऐसी सुविधाएं सम्मिलित है,

(ख) ''भवन'' के अन्तर्गत कोई संरचना अथवा सन्निर्माण अथवा संरचना अथवा सन्निर्माण का भाग, जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु आशयित हो, चाहे वास्तविक उपयोग में हो अथवा नहीं, सम्मिलित है;

(ग) ''निर्माण कार्यवाहियों'' के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्यवाहियों, भवनों का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन तथा भवनों के निर्माण से सम्बन्धित सामान्य रूप से की जाने वाली अन्य कार्यवाहियां सम्मिलित है;

[8]{(गग) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;}

{(घ) ''उपविधि'' से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण कहा गया है) अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित उपविधि अभिप्रेत है;}[4]

{(घघ) 'अध्यक्ष'' और ''उपाध्यक्ष'' से स्थानीय विकास प्राधिकरण के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;}[5]

{(घघघ) 'नगर विकास अधिभार' से भूमि के विकास के लिए धारा 38–क के अधीन निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;}[6]

(ङ) ''विकास'' से निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन अथवा अन्य कार्यवाहियाँ, जो भूमि पर, के ऊपर अथवा नीचे की जाती है अथवा किसी भवन अथवा भूमि में तात्विक परिवर्तन हेतु की जाती है, अभिप्रेत है तथा इसमें पुनर्विकास भी सम्मिलित है;

---

1. उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 02 सितम्बर, 1973 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 30 वर्ष 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 3(ग) द्वारा अन्तःस्थापित।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 3(i) द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) ''विकसित क्षेत्र'' से धारा 3 के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र के रूप में प्रख्यापित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

{(छ) 'विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण' से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे राज्य प्राधिकरण कहा गया है) और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे स्थानीय प्राधिकरण कहा गया है) जो कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित है, अभिप्रेत है :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं शब्द 'प्राधिकरण' आया है, जब तक कि राज्य प्राधिकरण के रूप में उसे अभिव्यक्त न किया गया हो, वह स्थानीय प्राधिकरण को संरचित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन जारी अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र/क्षेत्रों के विस्तार को परिभाषित करते हुए घोषित कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण संरचित होंगे। ऐसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा;}[2]

{(छछ) 'विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा' का तात्पर्य धारा 5–क के अधीन सृजित केन्द्रीयित सेवा से है;}[1]

{(छछछ) 'विकास शुल्क' से किसी व्यक्ति या निकाय पर स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, मल निकासी तंत्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तंत्र के निर्माण हेतु धारा 15 के अधीन अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;}[3]

{(छछछछ) 'विकास योजना' से अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना अभिप्रेत है;

(छछछछछ) 'मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक' से राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है;}[4]

(ज) ''अभियांत्रिक कार्यवाही'' के अन्तर्गत सड़क तक पहुँचने का मार्ग निर्मित करना अथवा जलापूर्ति हेतु साधन निर्मित करना सम्मिलित है;

{(जज) 'भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार' से महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग के परिवर्तन के लिए धारा 38–क के अधीन किसी व्यक्ति अथवा किसी निकाय पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;

(जजज) 'अनुज्ञा शुल्क' से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिए धारा 39–ख के अधीन लाइसेंस चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;}[5]

(झ) ''पहुंच मार्ग'' के अन्तर्गत पहुंचने के लिए कोई भी मार्ग सम्मिलित है, चाहे वह सवारियों के लिए अथवा पदयात्रियों के लिए प्राइवेट मार्ग हो अथवा सार्वजनिक मार्ग तथा इसके अन्तर्गत कोई सड़क भी सम्मिलित है;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 3 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 3 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (च) द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 3 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित

{(झझ) 'नामांतरण प्रभार' का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है, जो किसी ऐसे व्यक्ति पर प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किसी सम्पत्ति का अपने नाम में नामांतरण कराने के लिए धारा 15 के अधीन उद्‌गृहीत की जाय;}[1]

{(झझझ) 'निजी विकास कर्ता' से किसी वैयक्तिक, कम्पनी अथवा ऐसोसियेशन, वैयक्तिक निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है जिसकी विकास के लिए भूमि स्वयं की हो अथवा चाहे क्रय द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से भूमि जोड़ने हेतु सहमत या एकत्र हुए हों और जिसे इस अधिनियम की धारा 39–ख के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो;}[4]

{(ञ) 'विनियम' से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विनियम अभिप्रेत है;}[5]

{(ट) ''नियम'' से राज्य सरकार अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम अभिप्रेत है;}[6]

{(टट) 'अम्बार फीस' का तात्पर्य ऐसी फीस से है, जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर, जो प्राधिकरण की भूमि पर या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिए धारा 15 के अधीन उद्‌गृहीत की जाय;}[2]

(ठ) ''भवन के सन्निर्माण'' के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(एक) किसी भवन का कोई तात्विक परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन;

(दो) संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा –

(क) मानव निवास के लिए मूल रूप से निर्मित न किये गये भवन का परिवर्तन;

(ख) ऐसे स्थान पर एक भवन के रूप में मूलतः निर्मित भवन का मानव निवास हेतु एक से अधिक स्थानों में परिवर्तन;

(ग) मानव निवास के लिए दो अथवा अधिक स्थानों का ऐसे अधिक स्थानों में परिवर्तन;

(तीन) किसी भवन का ऐसा परिवर्तन, जिससे उसकी नाली अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करता हो अथवा उसकी सुरक्षा को तात्विक रूप से प्रभावित करता हो;

(चार) किसी भवन के किसी कक्ष, निर्माण, गृह अथवा अन्य संरचनाओं का परिवर्द्धन;

(पांच) किसी सड़क से संलग्न दीवाल अथवा दीवाल के स्वामी से असम्बद्ध भूमि में, ऐसी सड़क अथवा भूमि में, दरवाजा खोलना।

{(ठठ) 'जल–फीस' का तात्पर्य ऐसी फीस से है, जो किसी व्यक्ति या निकाय पर प्राधिकरण द्वारा समरित जल का निर्माण संक्रिया या भवन के निर्माण में उपयोग करने के लिए धारा 15 के अधीन उद्‌गृहीत की जाय।}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 2 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 2 (ग) द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 2 (घ) द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 3 (ज) द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 3 (झ) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 3 (ञ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) ''परिक्षेत्र'' से कोई भाग अभिप्रेत है, जिसमें कोई विकसित क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ, विभाजित किया जा सके;

(ढ) ''भूमि'' पद का वही अर्थ अभिप्रेत है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

[5]{(ण) ''स्थानीय क्षेत्रीय योजना'' से इस अधिनियम की धारा 9–क के अंतर्गत बनाई गयी योजना अभिप्रेत है;

(त) 'नगर नियोजन योजना'' से इस अधिनियम की धारा 9–क के अतर्गत बनाई गयी योजना अभिप्रेत है।}

अध्याय– 2

विकास प्राधिकरण और उसका उद्देश्य

विकास क्षेत्र की उदघोषण

3–– यदि राज्य सरकार के विचार में राज्य की सीमा के भीतर किसी क्षेत्र का विकास योजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित हो तो गजट में अधिसूचना द्वारा विकास किए जाने हेतु उस क्षेत्र की घोषणा कर सकेगी।

{परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन आच्छादित क्षेत्र के इस धारा के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के प्राविधान ऐसे क्षेत्र के लिए निरसित हो जायेंगे।}[1]

विकास प्राधिकरण

4–– {(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण' नाम के साथ, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, एक प्राधिकरण और किसी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी।}[2]

{(1–क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को उनके विकास क्षेत्र के विस्तार को परिभाषित करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों की शक्तियों को भी परिभाषित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों को पदाभिहित कर सकेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए इस उपधारा के अधीन ऐसे स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी घोषित/पदाभिहित कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में घोषित ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए कृत्य कर सकेंगे।

(1–ख) ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के विद्यमान परिषद् इस अधिनियम के अधीन धारा 4 की उपधारा (1–क) में प्रतिनिधानित शक्तियों की सीमा तक स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के परिषद समझे जायेंगे।}[3]

(2) {उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण}[4] उस नाम से एक निगमित निकाय होगा, जो उक्त अधिसूचना में दिया गया है, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अधिगृहीत करने, धारित करने और निस्तारित करने की शक्ति होगी, संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम में वाद लाने का अधिकार होगा और उसके विरूद्ध उक्त नाम में वाद लाया जाएगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 3(ii) द्वारा अंतःस्थापित।

{(2–क) (1) उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी; अर्थात्–

(क) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव– जो उपाध्यक्ष होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अपर मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;

[4]{(घघ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक एक संयुक्त मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के उपसचिव/ संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो;}

(ङ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(च) राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(छ) राज्य सरकार के नियोजन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ज) राज्य सरकार के वन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(झ) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ञ) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ट) राज्य सरकार के नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक – पदेन सदस्य;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक – पदेन सदस्य;

(ड) ऐसे अन्य गैर सरकारी सदस्य, जो दो से अधिक नहीं होंगे, समय–समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

उपर्युक्त खण्ड (ड) में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त कार्य करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसा गैर सरकारी सदस्य अपने पद से मुख्य प्रशासक को सम्बोधित स्वलिखित त्याग–पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई कृत्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अथवा किसी त्रुटि के होने के कारण यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य प्राधिकरण का गठन विधिमान्य नहीं है।}[2]

(3) विकास क्षेत्र, जिसमें {उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959}[1] में यथापरिभाषित नगर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सम्मिलित हो, के सम्बन्ध में {स्थानीय विकास}[3] प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा ––

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 5 (घ) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

(क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;

(ख) उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;

{(खख) स्थानीय विकास प्राधिकरण का सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;}[4]

{(ग) राज्य सरकार का सचिव, जो उस विभाग का भार साधक हो, जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य निष्पादित होता हो, {अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}[5] पदेन;}[3]

(घ) सचिव, राज्य सरकार, प्रभारी वित्त विभाग, {अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}[5] पदेन;

(ङ) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, {अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}[5] पदेन;

{(च) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल–निगम का प्रबन्ध निदेशक, {अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}[5] पदेन;}[2]

(छ) मुख्य नगर अधिकारी, {अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}[5] पदेन;

(ज) हर जिले के जिलाधिकारी, जिस जिले का कोई भी भाग विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो, {अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}[5] पदेन;

(झ) उक्त नगर के लिए नगर महापालिका के सभासदों द्वारा अपने आप में से चुने गये चार सदस्य :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जाएगा, जब वह {नगर निगम}[1] का सभासद न रह जाए;

(ञ) ऐसे अन्य सदस्य, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्देशित किए जाए।

(4) उपाध्यक्ष {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[6] की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी।

(5) उपाध्यक्ष {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[7] के कोष से ऐसा वेतन और भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा, जो राज्य सरकार द्वारा तन्निमित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जाए।

(6) उपधारा (3) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) अथवा खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[7] की बैठक में भाग लेने के बदले में, खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्य की दशा में, विभाग में उपसचिव से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को और खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट सदस्य की दशा में नगर नियोजक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को और खण्ड (च) की दशा में अधीक्षण इंजीनियर से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को, बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत कर सकेगा। उक्त प्रकार से अधिकृत अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1985 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 5 (च) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 5 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 5 (ज) द्वारा अन्तःस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 5 (झ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) उपधारा (3) में उल्लिखित विकास क्षेत्र से भिन्न {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[1] की दशा में यह एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच से अन्यून और ग्यारह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों, जिसमें कम से कम एक–एक सदस्य नगरपालिका परिषद् और नोटीफाइड एरिया कमेटी से होगा, जिसका विकास क्षेत्र में अधिकारिता हो, से मिलकर गठित होगा, जो ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के निर्बन्धनों के अधीन पद धारण करेंगे, जो तन्निमित राज्य सरकार द्वारा, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाये :

परन्तु उपाध्यक्ष अथवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य किसी भी समय स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा राज्य सरकार को सम्बोधित कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकृत होने पर उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(8) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[1] का कोई कार्य अथवा कार्यवाही प्राधिकरण के गठन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा किसी पद से रिक्त होने के कारण अवैध नहीं होगी।

प्राधिकरण के कर्मचारी

5–– [4]{(1) धारा 4 की उपधारा (2–क) में उपबन्धित राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, **संयुक्त मुख्य प्रशासक** और वित्त नियंत्रक के रूप में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निवर्हन करेंगे, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अथवा अपर मुख्य प्रशासक **अथवा संयुक्त मुख्य प्रशासक**, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसा वह उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेंगे और उनके पद तथा वेतनमान अवधारित कर सकेंगे।

(3) प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, **संयुक्त मुख्य प्रशासक,** वित्त नियंत्रक, और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वेतन और भत्तों को राज्य विकास प्राधिकरण की निधि से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गये विनियमों द्वारा अवधारित वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों से आच्छादित होंगे।}

{(4)}[2] राज्य सरकार, दो सुयोग्य व्यक्तियों को {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[3] का क्रमशः सचिव और मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो विनियमों द्वारा उल्लिखित किया जाए अथवा {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[3] अथवा उसके उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाए।

{(5)}[2] ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएं, {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[3] ऐसी संख्या में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु आवश्यक हो और उनका पद, नाम, श्रेणी निर्धारित कर सकेगा।

{(6)}[2] {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[3] के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी और अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[3] के कोष से ऐसा वेतन और भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों से नियंत्रित होंगे, जो विनियमों द्वारा तन्निमित निर्धारित किया जाय।

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 5 (झ) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 6 (क) द्वारा पुनर्संख्यांकित तथा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन

{5–क–– धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा धारा 59 की उपधारा (4) में उल्लिखित पदों से भिन्न ऐसे पदों के लिए, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या अधिक ''विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवायें'' सृजित कर सकती है, जो समस्त प्राधिकरणों के लिए सामान्य हो और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित कर सकती है।

(2) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर, ऐसे सृजन के ठीक पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत कोई व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा नियंत्रित व्यक्ति से या प्रति नियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति से भिन्न हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न करे, ऐसी सेवा में ––

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो; और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या अस्थानापन्न रूप में पद धारण किये हो, आमेलित किया जायगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार के आवास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अन्तिम या अनन्तिम रूप से आमेलन के लिए विकल्प किया है।

(4) किसी व्यक्ति की, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन के लिए उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से की जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अन्तिम रूप से आमेलित कर लिया जायेगा।

(5) ऐसे कर्मचारी की, जो आमेलन के विरूद्ध विकल्प करता है या जिसे अन्तिम रूप से आमलेन के लिए उपयुक्त न पाया जाय, सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेन्शन, भविष्य निधि या आनुतोषिक के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा––

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था;

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था।

स्पष्टीकरण–– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''वेतन'' के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन भी, यदि कोई हो, है।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा।}[1]

सलाहकार परिषद्

6–– (1) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, महायोजना की तैयारी करने में तथा विकास के नियोजन से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामलों में अथवा उससे उत्पन्न मामलों में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में जो उसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किये गये प्राधिकरण को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1985 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) सलाहकार परिषद्, धारा 4 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित की जाएगी ––

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 तथा मुख्य इंजीनियर, स्थानीय स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग, उ0प्र0, पदेन;

(ग) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 अथवा उसके नाम–निर्देशिती, जो उपनिदेशक से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, पदेन;

(घ) विकास क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाली स्थानीय प्राधिकारी के चार प्रतिनिधि, जो अपने सदस्यों में से उनके द्वारा चुने जायेंगे;

(ङ) यातायात आयुक्त, उ0प्र0 अथवा उसका नाम–निर्देशिती, जो यातायात उपायुक्त से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, पदेन;

(च) अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, उ0 प्र0 अथवा उसके नाम–निर्देशिती, पदेन;

(छ) लोकसभा और राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनके चुनाव क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भी भाग सम्मिलित हो;

(ज) राज्य विधान परिषद् और राज्य सभा के सभी सदस्य, जिनका निवास स्थान उस विकास क्षेत्र में हो;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्देशित तीन सदस्य, जिनमें से एक श्रमिकों के हित तथा एक विकास क्षेत्र में उद्योग और वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ज) के प्रयोजनार्थ राज्य विधान परिषद् अथवा राज्य सभा के किसी सदस्य का निवास स्थान वह समझा जायगा, जो उसके चुनाव अथवा नाम–निर्देशन, यथास्थिति, की अधिसूचना में उल्लिखित हो।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन किसी निर्वाचित सदस्य परिषद् के लिए निर्वाचित किए जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा तथा पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा :

परन्तु ऐसी अवधि उस समय समाप्त हो जायेगी जब वह उस स्थानीय निकाय का सदस्य न रह जाए, जिससे वह निर्वाचित किया गया था।

(5) सलाहकार परिषद्, यदि कोई हो, उपधारा (2) में उल्लिखित विकास क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में, ऐसे सदस्यों से गठित होगी, जो राज्य सरकार द्वारा तन्निमित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए।

(6) {सलाहकार परिषद्}[1] की बैठक तब होगी, जब अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाएगी :

परन्तु ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्राधिकरण का उद्देश्य

7–– {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[1] का उद्देश्य विकास क्षेत्र के विकास को नियोजन के अनुरूप प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकरण को निर्माण, अभियंत्रण, खनन और अन्य कार्यवाहियों को संचालित करने हेतु जल और विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य को निष्पादित करने हेतु, मलमूत्र का निस्तारण करने हेतु तथा अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु तथा ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे साम्पार्शविक प्रयोजनार्थ कोई आवश्यक अथवा अपरिहार्य कार्य करने हेतु भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को अधिगृहित करने, धारित करने, प्रबन्ध करने और निस्तारण करने की शक्ति होगी :

परन्तु इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस धारा की किसी भी बात का निर्वचन इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि वह प्राधिकरण को तत्समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन करने हेतु प्राधिकृत करे।

राज्य विकास प्राधिकरण के कृत्य

[2]{7–क–– राज्य विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(एक) राज्य के अन्तर्गत किन्हीं क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित/ अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता का आंकलन कर इस हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन की संस्तुति करना;

(दो) राज्यान्तर्गत अधिसूचित विभिन्न विकास क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से महायोजना/क्षेत्रीय योजना तैयार करना और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

(तीन) पूर्व निर्मित महायोजनाओं में आवश्यक संशोधन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देना;

(चार) राज्य के विभिन्न स्थानीय विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करना;

(पाँच) विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्य के सन्दर्भ में स्थानीय विकास प्राधिकरणों, नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कार्य विभाजन/अधिकारिता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(छः) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा/मानक के अनुसार अधिसूचित/विकास क्षेत्रान्तर्गत बृहद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना तथा इनके सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यवेक्षण/प्रवर्तन कार्य कराना;

(सात) राज्य के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय लाभदायक बृहद अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की परिकल्पना तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं के निमित्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से वित्त पोषण अथवा अन्य निजी क्षेत्रों से निवेश की व्यवस्था करना तथा परियोजना का क्रियान्वयन स्वयं अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराना ;

(आठ) आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन/संकलन करना तथा उसका उपयोग स्व विकसित अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों/लोक–निजी सहभागिता आधारित योजनाओं के लिए कराना;

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 7 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 7 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

(नौ) राज्य के लिए हितकारी बृहद परियोजनाओं को लोक–निजी सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशना, इस हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करना और इस निमित्त समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करना;

(दस) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए आवासीय एवं अवस्थापना विकास के कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश तैयार कर उनका अनुपालन कराना;

(ग्यारह) कम लागत के आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन नीति तैयार कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(बारह) अपने कोष से स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित की जाने वाली निधि की मात्रा निर्धारित करना तथा उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित करना;

(तेरह) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना;

(चौदह) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन करना, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जाँय।

राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण

7–ख–– (1) राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के नाम से पारित किए जायेंगे।

(2) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, स्थानीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा (उपाध्यक्ष) अथवा धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित/नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों के क्रम में राज्य प्राधिकरण और किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा दो या दो से अधिक स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय उस विवाद पर अन्तिम होगा।

(4) राज्य प्राधिकरण किसी समय पर स्वविवेक से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश या किसी निस्तारित मामले के अभिलेख, पारित आदेश अथवा जारी निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और ऐसे आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि राज्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति के अधिकारों के विरूद्ध कोई आदेश उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।}[1]

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 7 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय —— 3

[3]{महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना, स्थानीय क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन योजना}

विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और महायोजना

8—— {(1) नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित विकास क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र महायोजना तैयार करेगा।}[1]

(2) महायोजना :——

(क) विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित करेगी, जिसमें विकास क्षेत्र विकास के प्रयोजनार्थ विभाजन किए जा सकेंगे तथा वह रीति निर्दिष्ट करेगी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में भूमि को प्रयोग हेतु प्रस्तावित किया जाएगा (चाहे उस पर विकास किया जाए अथवा नहीं) तथा चरण, जिससे ऐसा कोई विकास संचालित किया जाएगा; तथा

(ख) निर्माण कार्य के लिए आधारभूत ढाँचे के रूप में कार्य करेगी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

(3) महायोजना, किसी अन्य मामले के लिए भी उपबन्धित की जा सकेगी, जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास हेतु आवश्यक हो।

क्षेत्रीय विकास योजनाएं

9—— (1) महायोजना की तैयारी के साथ—साथ अथवा उसके तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र, {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसमें विकास क्षेत्र विभाजित किया जा सकेगा, क्षेत्रीय विकास योजना बनाने हेतु कार्यवाही करेगी।

(2) क्षेत्रीय विकास योजना :——

(क) क्षेत्र के विकास के लिए सीट प्लान और उपयोग योजना अन्तर्विष्ट हो सकेगी और क्षेत्र में सार्वजनिक भवनों और अन्य सार्वजनिक संकर्मों जैसे प्रस्तावित उपयोगों एवं सड़कों, आवासों, मनोरंजन स्थलों, उद्योग, वाणिज्य, बाजार, स्कूल, हास्पिटल तथा सार्वजनिक एवं प्राइवेट खुले स्थानों तथा सार्वजनिक एवं उपयोगों के अन्य श्रेणियों के लिए भूमि की सीमा और विस्तार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा;

(ख) जनसंख्या घनत्व एवं भवन घनत्व के मापदण्ड को विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) क्षेत्र में हर क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकेगी, जो {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] के विचार में विकास अथवा पुनर्विकास हेतु अपेक्षित हो अथवा प्रख्यापित की गई हो; तथा

(घ) विशेषतः निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगी ——

(एक) भवन निर्माण हेतु किसी सीट का प्लॉटों में विभाजन;

(दो) सड़कों, खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन अथवा आरक्षण;

(तीन) किसी क्षेत्र का नगरों अथवा कॉलोनियों के रूप में विकास तथा प्रतिबन्ध एवं शर्तें, जिनके अधीन ऐसा विकास किया जा सकेगा;

(चार) किसी सीट पर भवनों का निर्माण प्रतिबन्ध एवं शर्तें, जिनके अन्तर्गत भवनों के अन्दर एवं चारों तरफ खुला स्थल रखा जायेगा एवं भवन की ऊँचाई एवं स्वरूप नियत किया जायेगा;

(पांच) किसी सीट के भवन का आरेखण;

(छः) किसी सीट पर निर्मित किए जाने वाले भवन के विस्तार अथवा अग्रभाग की वस्तु आकृति;

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 6 द्वारा शीर्षक प्रतिस्थापित।

(सात) प्लाट अथवा सीट पर निर्मित की जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(आठ) किसी सीट अथवा ऐसी सीट पर भवनों के सम्बन्ध में, चाहे भवन के निर्माण किए जाने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्रदान की जाने वाली सुविधाएं तथा व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, जिसके द्वारा अथवा जिसके व्यय पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी;

(नौ) स्थानीय क्षेत्र में दुकानों, वर्कशापों, कारखानों के भण्डारगृहों अथवा विशिष्ट वास्तु आकृति वाले भवनों अथवा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रारूपित भवनों के निर्माण के सम्बन्ध प्रतिबन्ध अथवा निर्बन्धन;

(दस) दीवालों, बाड़ों, खाइयों अथवा किसी अन्य संरचनात्मक अथवा वास्तुकृत निर्माणों का रख—रखाव तथा ऊँचाई, जितनी वह रखी जायेगी;

(ग्यारह) भवन के निर्माण से भिन्न प्रयोजनार्थ किसी सीट के उपयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन;

(बारह) कोई अन्य मामला, जो क्षेत्र अथवा उसके किसी क्षेत्र का नियोजन के अनुसार समुचित विकास के लिए और ऐसे क्षेत्र में अव्यवस्थित रूप से भवनों के सन्निर्माण को रोकने हेतु आवश्यक हो।

स्थानीय क्षेत्रीय योजना" एवं "नगर नियोजन योजना"

[1]{**9—कः** (1) स्थानीय विकास प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से एक अथवा अधिक स्थानीय क्षेत्र योजना अथवा नगर नियोजन योजना बना सकेगा।

(2) इस प्रकार बनाई गयी स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना का परीक्षण राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। इन योजनाओं की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। राज्य प्राधिकरण, आवश्यकतानुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का सहयोग ले सकता है।

(3) यदि कोई क्षेत्र, जो स्थानीय प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, तथा वहॉ स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना तैयार एवं क्रियान्वित की जानी है, तो उक्त क्षेत्र को राज्य सरकार स्वयंमेव अथवा राज्य प्राधिकरण की संस्तुति के अनुक्रम में स्थानीय क्षेत्रीय योजना या नगर नियोजन योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगाः

परन्तु, राज्य सरकार, स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन इत्यादि राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण से इतर किसी अन्य अभिकरण अथवा विभाग से भी करा सकती है।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय क्षेत्रीय योजना अथवा नगर नियोजन योजना तत्समय प्रचलित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना पर अधिभावी होगी।}

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

10–– (1) इस धारा में और 11, 12, 14 और 16 में 'योजना' का शब्द का अभिप्राय महायोजना से है और इसी प्रकार किसी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना से है। अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के समक्ष योजनाओं का प्रस्तुतीकरण

{(2) प्रत्येक योजना तैयार किए जाने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण, उसे (योजना को) अनिवार्यतः राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसे राज्य प्राधिकरण अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार या तो योजना को बिना किसी परिवर्द्धन के अथवा ऐसे परिवर्द्धन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी अथवा राज्य प्राधिकरण को निर्देशों के अनुसार नई योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए योजना को अस्वीकृत कर सकेगी।}[1]

11–– (1) किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसका प्रकाशन करेगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगा एवं एक नोटिस ऐसे प्रारूप और रीति से प्रकाशित करेगा, जो तन्निमित निर्मित विनियमों द्वारा विहित की जाए एवं किसी भी व्यक्ति से उस नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित करेगा। योजना को तैयार किए जाने और अनुमोदन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 18 वर्ष 2022 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[1], हर स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमा और भूमि योजना से प्रभावित होती है, योजना के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन देने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

{(3) सभी आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों, जो नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण द्वारा प्राप्त किए गए हों, पर विचार करने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित अन्य अभिकरण अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुतियों और टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करने हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।}[2]

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[1] को ऐसी सूचनाएं देने हेतु निर्देशित कर सकेगी, जिसे सरकार इस धारा के अधीन प्रस्तुत की गई किसी योजना को अनुमोदित करने हेतु आवश्यक समझे।

योजना के प्रवृत्त होने की तारीख

12—— राज्य सरकार द्वारा योजना के अनुमोदित किए जाने के तुरन्त पश्चात् {राज्य प्राधिकरण और सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण}[3] ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक सूचना की योजना अनुमोदित हो चुकी है एवं उस स्थान का नाम, जहाँ योजना की प्रतिलिपि का निरीक्षण सभी युक्तियुक्त अवधियों में किया जा सकेगा, प्रकाशित करेगा और उक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन पर योजना प्रवृत्त हो जायेगी।

{अध्याय 3—क

विकास क्षेत्रों में मुख्य सड़क

मुख्य सड़कों से संसक्त कतिपय भवनों के अग्रभाग का अनुरक्षण और सुधार

12—क—— (1) जहां किसी विकास क्षेत्र में पूर्णतः अनावासिक प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासिक और अंशतः अनावासिक प्रयोजनों के लिए अधिमुक्त कोई भवन किसी मुख्य सड़क से संसक्त हो, वहां ऐसे भवन का अधिभोगी अपने खर्चे पर उस निमित्त बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसे भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहां प्राधिकरण किसी रंग—व्यवस्था या उस निमित्त अन्य विनिर्दिष्टियों की समरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे या जहां कोई अधिभोगी उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने में असफल रहता है, वहां प्राधिकरण आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निदेशाधीन किया जायगा और तद्नुसार अधिभोगी द्वारा प्राधिकरण को ऐसे कार्य के खर्च का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के खर्चे की गणना बिना किसी लाभ—हानि के आधार पर की जायेगी और जमा किये जाने के लिए अपेक्षित धनराशि की युक्तियुक्तता के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और उसके अधीन रहते हुए प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य का सम्पूर्ण खर्च या उसका भाग, अधिभोगी द्वारा भुगतान न किये जाने की दशा में, उपाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र पर अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–– इस धारा में––

(क) पद 'मुख्य सड़क' का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए उपविधियों में दिया जाय;

(ख) किसी भवन के सम्बन्ध में, पद 'अधिभोगी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके वास्तविक अधिभोग या उपयोग में भवन हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है––

(एक) स्वामी (जिस पद के अन्तर्गत अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर, अधिकर्ता या प्रबन्धक या भवन का भोगबन्धकी भी है) जिसका अधिभोग हो;

(दो) किरायेदार, जो तत्सम्बन्धी किराया स्वामी को तत्समय दे रहा हो या देने का उत्तरदायी हो;

(तीन) उसका माफीदार या लाइसेंसी;

(चार) वह व्यक्ति, जिसका दायित्व उसके अप्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए है।}[1]

अध्याय –– 4

महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना का संशोधन

योजना का संशोधन

13–– (1) {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण}[2], महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना में कोई भी संशोधन, जिसे वह उचित समझे, संशोधन ऐसा हो जो उसके विचार में योजना के चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन न करता हो तथा जो भूमि के उपयोग की सीमा अथवा जनसंख्या घनत्व के मापदण्ड से सम्बन्धित न हो, कर सकेगा।

[3]{(2) राज्य सरकार महायोजना या आंचलिक विकास योजना या स्**थानीय क्षेत्रीय योजना या नगर नियोजन योजना** में संशोधन कर सकेगी चाहे ऐसी योजना उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की हो या न हो।}

(3) योजना में किसी प्रकार का संशोधन करने से पूर्व {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] अथवा राज्य सरकार, यथास्थिति, विकास क्षेत्र में प्रसार वाले कम से कम समाचार–पत्र में, ऐसे दिनांक से पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करेगा तथा सभी आपत्तियों एवं सुझावों, जो प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार को प्राप्त हो, पर विचार करेगा।

(4) इस धारा के अधीन किया गया संशोधन ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा, जैसे यथास्थिति, {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] या राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन की तिथि पर या ऐसी अन्य तिथि पर, जैसी यथास्थिति, {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] या राज्य सरकार नियत करे, प्रवृत्त होंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 13 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) जब {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[1] उपधारा (1) के अन्तर्गत योजना में कोई संशोधन करे, ऐसी योजना के पूर्व विवरण सहित, ऐसे संशोधन के प्रवृत्त हाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, {राज्य प्राधिकरण}[2] को सूचित करेगा।

[5]{(6) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं, जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं या क्या वे भूमि प्रयोग की सीमा अथवा जनसंख्या घनत्व के मापदण्ड से सम्बन्धित हैं, तो राज्य प्राधिकरण द्वारा इसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।}

(7) किसी अन्य अध्याय में, सिवाय अध्याय 3 के महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना से कोई सन्दर्भ इस धारा के अन्तर्गत यथासंशोधित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना से सन्दर्भ समझा जायेगा।

अध्याय – 5

भूमि का विकास

विकास क्षेत्र में भूमि का विकास

14–– (1) धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पश्चात् उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा निकाय (सरकारी निकाय भी सम्मिलित है) द्वारा भूमि का न तो विकास किया जाएगा न विकास कार्यवाही संचालित की जाएगी, न जारी रखी जायेगी, बशर्ते कि ऐसे विकास हेतु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] से लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो।

(2) किसी भी विकास क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्यवाही नहीं की जायेगी अथवा संचालित नहीं की जायेगी अथवा जारी नहीं रखी जायेगी, बशर्ते कि ऐसा विकास भी ऐसी योजना के अनुसार न हो।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले भूमि के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :––

(क) जब कोई ऐसा विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारी भूमि का कोई विकास करना चाहे तो वह अपने आशय की सूचना पूर्ण विवरण सहित, किसी मानचित्र और दस्तावेज को सम्मिलित करते हुए, ऐसी विकास कार्यवाही प्रारम्भ करने के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] को लिखित रूप से सूचित करेगा।

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 13 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 13 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 14 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 14 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग की दशा में, यदि {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/ इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] को कोई आपत्ति न हो तो उसे ऐसे विभाग को उसके बारे में खण्ड (क) के अन्तर्गत विभाग का आशय प्राप्त होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर, संसूचित कर देना चाहिए और यदि {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/ इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं करता है तो विभाग प्रस्तावित विकास करने हेतु स्वतंत्र होगा ;

(ग) जहाँ {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] प्रस्तावित विकास के बारे में कोई आपत्ति इस आधार पर उठाता है कि विकास {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[2] द्वारा तैयार किए गए अथवा तैयार किए जाने हेतु आयोजित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना से साम्य नहीं रखता है;

अथवा किसी अन्य आधार पर उठाता है तो {नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण}[2], यथास्थिति :––

(एक) या तो {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/ इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] द्वारा उठाई गई आपत्तियों के समाधान हेतु विकास हेतु प्रस्ताव में परिवर्द्धन करेगा; या

(दो) विकास हेतु प्रस्ताव को {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] द्वारा उठाई गई आपत्तियों के साथ खण्ड (घ) के अधीन निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(घ) राज्य सरकार, {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] की आपत्ति के साथ विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर या तो प्रस्ताव को परिवर्द्धन सहित या बिना परिवर्द्धन के अनुमोदित कर देगी या विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को यथास्थिति, ऐसे परिवर्द्धन करने हेतु, जो सरकार द्वारा प्रस्तावित किये जायं, निदेशित कर सकेगी और राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा;

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 14 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 14 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) ऐसे निगम द्वारा अथवा धारा 59 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा किये जाने से पूर्व प्रारम्भ किये गये विकास कार्य को उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं के अनुपालन में उस विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण किया जा सकेगा।

अनुमति हेतु आवेदन

15–– (1) धारा 14 में विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करने हेतु हर व्यक्ति अथवा निकाय (किसी सरकारी विभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो,}[3] के समक्ष ऐसे प्रारूप में और विकास, जिससे आवेदन–पत्र सम्बन्धित हो, से सम्बन्धित ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, जो {उपविधियों}[1] द्वारा विहित की जाए, लिखित रूप में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ ऐसा शुल्क संलग्न होगा, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए।

{(2–क) {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण}[4] विकास फीस, नामान्तरण प्रभार, अम्बार फीस और जल फीस को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर, जो विहित की जाय, उद्गृहीत करने का हकदार होगा :

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसे {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण}[4] द्वारा विकसित न किया जा रहा हो या विकसित न किया गया हो, उद्गृहीत अम्बार फीस की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसा क्षेत्र स्थित हो, को अन्तरित कर दी जायेगी।}[2]

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत अनुमति हेतु कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो,}[5] {***}[6] अथवा किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुमति प्रदान करेगा या ऐसी अनुमति प्रदान करने से अस्वीकृत कर देगा :

परन्तु ऐसी अनुमति प्रदान करने से अस्वीकृत करने वाला आदेश पारित करने से पूर्व आवेदनकर्ता को यह कारण बताने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा कि क्यों न अनुमति अस्वीकृत कर दी जाए :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 7 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 3 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 15 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 15 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 15 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 15 (4) द्वारा निकाला गया।

परन्तु अग्रेत्तर यह है कि {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो,}[3] ऐसे आवेदन–पत्र पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व आवेदनकर्ता को उसमें कोई संशोधन करने अथवा कोई अग्रेत्तर विशिष्ट अथवा दस्तावेज की आपूर्ति करने अथवा अध्युपेक्षित शुल्क में किसी कमी को पूर्ण करने हेतु, जिससे कि वह सुसंगत नियमों अथवा विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके, अवसर प्रदान करेगा :

{परन्तु यह भी कि {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो,}[3] धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा देने के पूर्व उपधारा (2–क) के अधीन उद्‌गृहीत फीसों और प्रभारों को जमा करा सकेगा।}[2]

(4) जहां ऐसी अनुमति अस्वीकृत कर दी जाए, ऐसी अस्वीकृति के आधारों को अभिलिखित किया जाएगा और आवेदनकर्ता को संसूचित किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आदेश के विरूद्ध उसे संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर {अध्यक्ष}[1] के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा और वह आवेदनकर्ता को तथा यदि आवश्यक हो {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] के प्रतिनिधि को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् या तो अपील को खारिज कर देगा या आवेदन की गई अनुमति को ऐसे परिवर्द्धनों सहित अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो विनिर्दिष्ट की जा सके, प्रदान करने हेतु {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] को निदेशित कर सकेगा।

(6) {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] इस धारा के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदनों के लिए ऐसे प्रारूप में, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, एक पंजिका रखेगा।

(7) उक्त पंजिका में ऐसी विशिष्टियाँ, संसूचना की रीति, जिसमें अनुमति हेतु आवेदन पत्र के साथ बर्ताव किया जाएगा, को सम्मिलित करते हुए, अन्तर्विष्ट होगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए तथा किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क पांच रूपये से अनधिक, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, का भुगतान करने पर हर युक्तियुक्त अवधि में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 7 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 3 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 15 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 15 (5) द्वारा प्रतिस्थापित।

(8) जहाँ इस धारा के अन्तर्गत अनुमति अस्वीकृत कर दी जाए, आवेदनकर्ता अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुमति हेतु आवेदन—पत्र के साथ भुगतान किए गए शुल्क को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, किन्तु {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] उपधारा (4) के अधीन अस्वीकृत किए जाने के आधारों की संसूचना के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर शुल्क के ऐसे भाग को वापस किए जाने हेतु निर्देश दे सकेगा, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

{(9) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा दिए जाने के पश्चात् यदि किसी भी समय {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/ अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] का यह समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा सारवान दुर्व्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन या सूचना के फलस्वरूप दे दी गई थी तो ऐसी अनुज्ञा को लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कोई कार्य बिना ऐसी अनुज्ञा के किया गया समझा जायेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञा सम्बन्धित व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं की जायेगी।}[1]

पूर्णता प्रमाण—पत्र

{15—क—— (1) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय, जिसे धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो, अनुमोदित मानचित्र के अनुसार विकास पूर्ण करेगा और {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] को विकास पूर्ण करने की लिखित नोटिस भेजेगा और प्राधिकरण से विहित या {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] की उपविधि में दी गई रीति से पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु यदि विकास पूर्ण करने की नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रदान नहीं किया जाता है और उसके अस्वीकृत किये जाने की सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायगा कि {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] द्वारा पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रदान कर दिया गया है।

(2) कोई व्यक्ति, किसी वाणिज्यिक भवन पर न तो कब्जा करेगा या न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा या उस भवन का या उसके किसी भाग का जिस पर किसी निर्माण कार्य का प्रभाव पड़ता हो, न प्रयोग करेगा या न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक ——

(क) {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] द्वारा पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी न कर दिया जाय; या

(ख) {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] ने विकास पूरा होने की सूचना प्राप्त होने के तीन मास तक, अपनी उक्त अनुज्ञा, अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो।

स्पष्टीकरण—— इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद 'वाणिज्यिक भवन' का वही तात्पर्य है, जो उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम, 1959 में उसके लिए दिया गया है।}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 3 (ग) द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 15 (5) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

योजनाओं के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग

16–– किसी क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में ऐसी योजना के प्रतिकूल किसी भवन अथवा भूमि का न तो उपयोग करेगा अथवा किसी भवन अथवा भूमि का न तो उपयोग करेगा अथवा न तो किसी के उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगी :

परन्तु किसी भवन अथवा भूमि का प्रयोग उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए और उस सीमा तक जहाँ तक उसका उपयोग ऐसी योजना के लागू होने के दिनांक पर किया जा रहा था, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो तन्निमित निर्मित उपविधियों द्वारा विहित की जाये, जारी रखना विधिपूर्ण होगा।

अध्याय –– 6

भूमि का अधिग्रहण और निस्तारण

भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण

17–– (1) यदि राज्य सरकार के विचार में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ अथवा किसी अन्य के प्रयोजनार्थ यदि कोई भूमि अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर सकेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति, जिससे कोई भूमि इस प्रकार से अधिग्रहीत की गई हो, ऐसे अधिग्रहण से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर, इस आधार पर भूमि को पुनः वापस किए जाने हेतु राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकेगा कि भूमि का उपयोग इस अवधि के भीतर उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका है, जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था तथा यदि राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो तो वह उन प्रभारों का जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में उपगत हुए हों, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ और ऐसे विकास प्रभार, यदि कोई हो जो अधिग्रहण के बाद उपगत हुए हों, का भुगतान किए जाने पर भूमि को वापस किए जाने का आदेश दे सकेगी।

(2) जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई हो, वह सरकार भूमि पर कब्जा लेने के पश्चात् उस भूमि को {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए प्रतिकर और अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उपगत प्रभार का भुगतान करने पर {स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[1] अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी को उस प्रयोजन हेतु, जिसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है, अंतरित कर सकेगी।

राज्य प्राधिकरण का भू–बैंक

[2]{17–क–– राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू–बैंक सृजित करने की शक्ति होगी :––

(क) भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार; अथवा

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि; अथवा

(ग) विकास प्राधिकरणों के सन्दर्भ में भूमि अर्जन/संकलन नीति; अथवा

(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से भूमि क्रय करके।

राज्य प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण

17–ख–– (1) राज्य प्राधिकरण –

(क) समाज के कमजोर वर्गों को वहन करने योग्य आवास उपलब्ध कराने के लिए अपने भू–बैंक से किसी भूमि को किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी /अभिकरण/व्यक्ति, निजी अथवा लोक को अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 17 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 17 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित कोई भूमि उस पर कोई विकास किए बिना अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

(ग) कोई ऐसी भूमि ऐसे विकास के बाद जैसा वह ठीक समझे, किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा योजना अनुसार विकास को प्राप्त करने के लिए समीचीन समझा जाय, अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य प्राधिकरण उपहार के रूप में किसी भूमि का निस्तारण कर सकती है, किन्तु विषय के अध्यधीन इस अधिनियम में सन्दर्भित भूमि का निस्तारण किसी सन्दर्भ में किसी रीति से कोई निस्तारण चाहे वह विक्रय, विनिमय अथवा पट्टे अथवा किसी सुखाचार, अधिकार के सृजन द्वारा अथवा विशेषाधिकार अथवा अन्यथा हो, कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण ऐसी भूमि (उसके किसी भवन सहित) को बन्धक अथवा अधिभार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास और नगर विकास निगम अथवा कोई बैंकिंग कम्पनी अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में रख सकेगी।}[3]

सम्बन्धित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि का निस्तारण

18–– (1) (1) राज्य सरकार द्वारा तन्निर्मित दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए सम्बन्धित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकारी, यथास्थिति :–

(क) राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत और उससे अन्तरित किसी भूमि का निस्तारण, उस पर बिना किसी प्रकार का विकास किए या प्रारम्भ किए; अथवा

(ख) ऐसी किसी भूमि, ऐसा विकास करने अथवा प्रारम्भ करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, का निस्तारण;

ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जिसे वह योजना के अनुसार विकास क्षेत्र के विकास को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक समझे कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का निर्वचन इस प्रकार से नहीं किया जाएगा, जिससे कि वह सम्बन्धित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकारी को भूमि का निस्तारण दान {***}[1] के द्वारा करने हेतु सक्षम बनाए, किन्तु उक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के निस्तारण पद का निर्वचन इस प्रकार किया जाएगा, जिससे उसका अभिप्राय इस प्रकार के निस्तारण से लगाया जाए, जो विक्रय, विनियम या पट्टे द्वारा या किसी प्रकार के सुखाधिकार, अधिकार या विशेषाधिकार द्वारा किया जाए, अन्यथा न किया जाए।

{(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी ऐसी भूमि पर (जिसके अन्तर्गत उस पर स्थित कोई भवन भी है) भारतीय जीवन बीमा निगम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन या उत्तर प्रदेश लोक–धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित ''बैंकिंग कम्पनी'' या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्थान के पक्ष में बन्धक या प्रभार का सृजन कर सकता है।}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 5 (एक) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 17 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

{(4) जहां रिक्त भूमि का इस धारा के अधीन व्ययन अनुबद्ध समय के भीतर निर्माण करने के लिए पट्टे द्वारा, जिसमें ऐसे समय के भीतर निर्माण न करने पर पट्टे का समपहरण करने और पुनः प्रवेश करने का अधिकार भी है, किया गया है और पट्टेदार बिना पर्याप्त कारणों के निर्माण या उसका सारवान भाग अनुबद्ध समय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जो पट्टाकर्ता द्वारा दिया जाय, निर्मित करने में असफल रहता है, वहां {पट्टाकर्ता उपधारा (4–क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पट्टे का समपहरण कर सकता है}[1] और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकता है :

परन्तु कोई समपहरण या पुनः प्रवेश नहीं किया जायेगा जब तक कि पट्टेदार का प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

{(4–क) जब कोई पट्टेदार उपधारा (4) के अधीन अनुबद्ध समय और बढाये गये समय, यदि कोई हो, के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है, जिससे कि कुल अवधि, पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक हो जाती है तो पट्टाकर्ता द्वारा उससे सम्बन्धित भूमि के प्रचलित बाजार मूल के दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष प्रभार वसूल किया जायेगा और यदि उक्त प्रभार के अधिरोपण के दिनांक से पांच वर्ष की अग्रत्तर अवधि व्यतीत हो जाती है तो पट्टा समपहृत हो जायेगा और पट्टाकर्ता भूमि पर पुनः प्रवेश कर लेगा :

परन्तु जहां उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पूर्व पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो या जहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर पांच वर्ष की अवधि समाप्त होती हो तो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रभार वसूली योग्य होगा।}[2]

(5) ऐसे समपहरण और पुनः प्रवेश पर पट्टेदार द्वारा ऐसी भूमि के लिए दिया गया प्रीमियम बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित कटौतियां करने के उपरान्त लौटा दिया जायगा ––

(क) उस पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता को देय धनराशि, यदि कोई हो; और

(ख) प्रशासनिक व्यय के लिए प्रीमियम के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी जानकारी के दिनांक से 30 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) ऐसी भूमि का जिस पर पट्टा के समपहरण के पश्चात् पुनः प्रवेश किया जाय, व्ययन उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।}[3]

नजूल भूमि

19–– (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जिस पर सरकार और प्राधिकरण के बीच करार किया जा सके, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ, विकास क्षेत्र में राज्य स्थिति सरकार में निहित सभी अथवा किसी विकसित और अविकसित भूमि को निस्तारण हेतु प्राधिकरण के अधीन कर सकेगी।

(2) उपधारा (2) के अधीन निस्तारण हेतु प्राधिकरण के अधीन किसी नजूल भूमि के किए जाने के पश्चात् ऐसी किसी भूमि पर सिवाय प्राधिकरण के नियंत्रण और अधीक्षण के द्वारा या अधीन कोई भी विकास नहीं किया जाएगा या संचालित नहीं किया जाएगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 5 (क) द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1985 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) ऐसी किसी नजूल भूमि के प्राधिकरण के नियंत्रण और अधीक्षण के द्वारा अथवा के अधीन विकसित किए जाने के पश्चात् वह प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा तन्निमित दिए गए निर्देशों के अनुसार बरती जाएगी।

(4) यदि कोई नजूल भूमि, जो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधीन निस्तारण हेतु रखी गई हो बाद मे राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय अपेक्षा किए जाने पर, प्राधिकरण गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों एव निबन्धनों पर, जिस पर सरकार और प्राधिकरण के बीच करार हो, उस सरकार के निस्तारण हेतु प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।

अध्याय – 7
वित्त, लेखा और सम्परीक्षण

प्राधिकरण का कोष

20–– (1) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] अपना कोष रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी ––

(क) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि;

(ख) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] द्वारा राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋण अथवा डिबेंचर के रूप में उधार ली गई सभी धनराशि;

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण {फीसें, पथकर और प्रभार}[1]

(घ) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] द्वारा भूमि, भवन और अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त की गई सभी धनराशि; और

(ङ) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] द्वारा भाटक और लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की सभी धनराशि।

(2) कोष का उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने हेतु {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] द्वारा उपगत व्यय के प्रति किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं।

(3) राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] अपने कोष से ऐसी धनराशि, जिसे वह अपने वर्तमान व्ययों के लिए आवश्यक समझे, किसी अनुसूचित बैंक में अपने वर्तमान खाते में रखेगा तथा शेष धनराशि का किसी अन्य रीति से, जिसमें वह उचित समझे, निवेश कर सकेगा।

(4) राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा तन्निमित निर्मित विधि के सम्यक अनुपालन में, ऐसा अनुदान, ऋण तथा अग्रिम का भुगतान {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] को कर सकेगी, जिसे सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2] के कृत्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक समझे तथा सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम का भुगतान ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों पर किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे।

(5) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[2], राज्य सरकार से भिन्न, किसी स्रोत से ऋण अथवा डिबेंचर के रूप में धनराशि, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन ले सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 48 वर्ष 1976 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 18 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[1] एक ऋण निधि रखेगा, जो उपधारा (5) के अन्तर्गत लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए होना और ऋण निधि में हर वर्ष ऐसी धनराशि जमा करेगा, जो उक्त प्रकार से उधार ली गई धनराशि का पुनः भुगतान करने हेतु पर्याप्त हो।

(7) ऋण निधि अथवा उसके किसी भाग का उपयोग उस ऋण के भुगतान में अथवा के प्रति, जिसके लिए ऐसी निधि गठित की गई थी, किया जाएगा और जब तक ऐसे ऋण का पूर्णतः भुगतान न हो जाए, इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

(8) स्थानीय विकास प्राधिकरण अपनी कुल आय का राज्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंश राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।

(9) राज्य प्राधिकरण उपर्युक्त उपधारा (8) के अधीन संग्रहीत निधि में से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटन योग्य धनराशि का निर्धारण करेगा और उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य आवंटित करेगा।}[2]

राज्य प्राधिकरण की निधियाँ

{20—क—— (1) राज्य प्राधिकरण स्थानीय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त निधि के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा उसे आवंटित निधि से स्वयं की एक निधि संरक्षित करेगा।

(2) निधि का उपयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय अथवा इसके द्वारा सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित किन्हीं अन्य प्रयोजनों/कृत्यों के लिए किया जायेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण को स्थानीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली निधि की मात्रा को अवधारित करने और इसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों/नगरीय स्थानीय निकायों को उनकी वित्तीय सुदृढ़ता हेतु आबंटित करने की शक्ति होगी।

(4) राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन राज्य प्राधिकरण ऐसी धनराशियों के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, अपने संभावित चालू अपेक्षाओं की पूर्ति और किसी अधिशेष धनराशि के निवेश के लिए, ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता रखेगा।

(5) राज्य सरकार सम्यक विनियोग के पश्चात् ऐसे अनुदानों, अग्रिमों और ऋणों को राज्य प्राधिकरण को देगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, और सभी अनुदानों, ऋणों और अग्रिमों को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर देगी, जैसा वह अवधारित करे।

(6) राज्य प्राधिकरण ऋण अथवा ऋण पत्रों अथवा ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार से इतर) से ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करे, ऋण ले सकेगी।

(7) राज्य प्राधिकरण उपधारा (5) एवं (6) के अधीन ऋण ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि को संरक्षित करेगी और इस प्रकार ऋण ली गई सभी धनराशियों की नियत अवधि के अन्दर वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त धनराशि निक्षेप निधि में जमा करेगी।

(8) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग ऋण भुगतान, जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, के निमित्त ही व्यय की जायेगी और जब तक कि ऐसे ऋणों का पूर्णतः निक्षेपण नहीं कर लिया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की जायेगी।}[3]

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 18 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 18 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।

प्राधिकरण का बजट

21—— हर वर्ष ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, {स्थानीय विकास प्राधिकरण}[1] की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को प्रदर्शित करते हुए आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक बजट तैयार करेगा।

राज्य प्राधिकरण का आय—व्ययक

{21—क—— राज्य प्राधिकरण ऐसा तथा ऐसे समय पर प्रत्येक वर्ष जैसा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में किसी आय—व्ययक के लिए विनिर्दिष्ट करे, आय—व्ययक जिसमें राज्य प्राधिकरण के आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आंकलित प्राप्तियाँ और व्ययों का विवरण हो, तैयार करेगा।}[2]

लेखा और लेखा—परीक्षा

{22—— (1) {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखा का एक वार्षिक विवरण—पत्र, जिसके अन्तर्गत तुलन—पत्र भी है, ऐसे रूप में तैयार करेगा, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] के लेखा का परीक्षण प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के स्थान पर या उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर जो उसके और राज्य सरकार के बीच तय पाये, सौंप सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेख—परीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार ——

(एक) स्थानीय विधि लेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे, जो उसे स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं;

(दो) यथास्थिति, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे, जो उसे सरकारी लेखा की परीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं; और

(तीन) किसी अन्य लेखा परीक्षक की स्थिति में वहीं होंगे, जैसा विहित किया जाय,

और विशेषतया, उसे बहियां, लेखा, सम्बद्ध वाउचर, कागज और अन्य दस्तावेज पेश किये जाने की मांग करने का और {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो,}[3] के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) लेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] का लेखा तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष या ऐसे समय पर, जैसा उसके द्वारा निदेश दिया जाय, भेजा जायगा। राज्य सरकार, {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3] को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और{स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो,}[3] ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक द्वारा उपगत कोई व्यय {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[2] द्वारा लेखा परीक्षक को देय होगा।}[1]

वार्षिक रिपोर्ट

23–– {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[3], प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगी तथा रिपोर्ट को ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे दिनांक को या से पूर्व, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

पेन्शन और भविष्य निधि

24–– (1) {स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4], अपने पूर्णकालिक भुगतान सदस्यों और अपने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी पेन्शन अथवा भविष्य निधि, जिसे वह उचित समझे, की व्यवस्था कर सकेगा।

(2) जहां ऐसी किसी पेन्शन अथवा भविष्य निधि की व्यवस्था की गई हो, राज्य सरकार यह प्रख्यापित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर लागू होंगे, जिस प्रकार से वे सरकारी भविष्य निधि पर लागू होते हैं।

अध्याय – 8

अनुपूरक और विविध प्रबन्ध

प्रवेश करने की शक्ति

25–– प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी व्यक्ति को सहायकों अथवा कर्मकारों के साथ अथवा के बिना, किसी भूमि अथवा भवन में अथवा पर निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु प्रवेश करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा ––

(क) ऐसी भूमि अथवा भवन की कोई जांच, निरीक्षण, पैमाइशी अथवा सर्वेक्षण अथवा तल मापन हेतु;

(ख) निर्माणाधीन कार्य के परीक्षण और सीवर एवं नालियों के मार्ग को सुनिश्चित करने हेतु;

(ग) ऊपरी भूमि में खुदाई अथवा बोरिंग हेतु;

(घ) कार्य की सीमा और आशयित रेखा को सुनिश्चित करने हेतु;

(ङ) चिन्ह स्थापित कर और खाई खोदकर ऐसा तल, सीमा और रेखा बनाने हेतु;

(च) यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई भूमि महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में अथवा धारा 14 में विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना अथवा किसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, विकसित की जा रही है अथवा की गई है; अथवा

(छ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन हेतु आवश्यक कोई अन्य कार्य करने हेतु :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 28 वर्ष 1983 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु ––

(एक) ऐसा कोई प्रवेश, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के घंटों के सिवाय और अध्यासों को अथवा यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को युक्तियुक्त नोटिस दिए बिना नहीं किया जाएगा;

(दो) किसी महिला, यदि कोई हो, को ऐसे स्थान अथवा भवन से हटने के लिए, हर अवस्था में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा;

(तीन) प्रवेश की गई भूमि अथवा भवन के अध्यासी के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का प्रयोजन, जिसके लिए प्रवेश किया गया है, की आवश्यकता का, यथासम्भव पूर्ण करने में हमेशा सम्यक ध्यान रखा जाएगा।

जुर्माना

26–– [1]{(1) कोई व्यक्ति, जो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी निकाय (सरकारी विभाग सहित) के अनुरोध पर, किसी भूमि का विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना या स्थानीय क्षेत्रीय योजना या नगर नियोजन योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन अथवा मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, करता है या कार्यान्वित करता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगाः–

(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 5000.00
(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 10000.00
(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 20,000.00

उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का प्रयोग धारा 16 के उपबन्धों के उल्लंघन में करता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगाः–

(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 5000.00
(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 10000.00
(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 20,000.00

उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत, व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को तंग करता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगाः–

(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 5000.00
(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 10000.00
(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 20,000.00

उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।}

सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण या बाधा

[2]{ [3]{26–क–– (1) यदि कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर, नाली पर कार्य करने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि प्राधिकरण से सम्बन्धित हो या न हो या विकास क्षेत्र में निहित हो या न हो, पर अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न करता है, तो वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो रू0 20,000.00 तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 18 वर्ष 2022 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

[1]{(3) जो कोई, किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर, नाली पर कार्य करने या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ढ़ेर लगाने के शुल्क के भुगतान पर, ऐसी अवधि के दौरान, जैसे अनुमति दी गयी हो, भवन सामग्री रखने के सिवाय, विकास क्षेत्र में किसी सड़क या भूमि में, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी सड़क या भूमि, प्राधिकरण की हो या न हो अथवा प्राधिकरण में निहित हो या न हो, ढेर लगाता है, तो उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगाः–

(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर– रू० 5,000.00

(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर–रू० 10,000.00

(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर– रू० 20,000.00

उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।}

(4) यदि यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, कोई अधिक्रमण किया है या बाधा पहुंचायी है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिक्रमण करने वाले या बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि उससे पन्द्रह दिन से अन्यून ऐसी अवधि जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर अधिक्रमण या बाधा हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् लिखित रूप में अभिलिखित किये गये कारणों सहित ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है :

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई अधिक्रमण तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाय, पुनर्वास करने के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास–सुविधा प्रस्तावित न कर दी जाय।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद––

(1) ''निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है––

(क) जिसके कुटुम्ब के पास उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 मे यथा परिभाषित किसी नगर में या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई स्थावर सम्पत्ति न हो; और

(ख) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्ब के सदस्य का शारीरिक क्षम है, जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है, किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन व्यापार कर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्रीकर निर्धारित किया गया है।

(2) निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ''कुटुम्ब'' का तात्पर्य यथास्थिति, पति या पत्नी और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अवयस्क सन्तान से है।

(5) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या उसे द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी अधिकारी को इस धारा में यथा उपबन्धित कार्यवाही करने के साथ–साथ इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गई या यथास्थिति, ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई किसी सम्पत्ति को कुर्क या अभिग्रहीत करने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

(6) जब प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जाय तो वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की सूचना तुरन्त प्राधिकरण को देगा।

....

1– उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) प्राधिकरण अभिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने तक अभिग्रहीत या कुर्क की गई सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो प्राधिकरण उसके विक्रय या उसके अन्यथा व्ययन किये जाने के लिए आदेश कर सकता है।

(8) जब किसी सम्पत्ति का यथा उपर्युक्त विक्रय किया जाता है तो उस विक्रय से सम्बन्धित व्ययों, यदि कोई हो और अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम का——

(क) जब प्राधिकरण द्वारा अधिहरण का आदेश अन्ततः पारित न किया जाय; या

(ख) अपील में पारित किसी आदेश द्वारा यह अपेक्षा की जाय,

भुगतान उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, कर दिया जायेगा।

(9) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की जाय तो प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकता है।

(10) उपधारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा तब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, को ——

(क) उन आधारों, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित हो, की सूचना देते हुए लिखित रूप में एक नोटिस न दे दी जाय;

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अभिहरण के आधारों के विरूद्ध एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया जाय; और

(ग) इस विषय में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसे दण्ड के अधिरोपण में, जिसका इससे प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो, बाधक न होगा।

(12) उपधारा (9) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर जिला जज को उसके विरूद्ध अपील कर सकता है।

(13) ऐसी अपील पर जिला जज, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसको वह उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, की पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने के लिए उचित समझे और अपील लम्बित रहने तक उस आदेश का कार्यान्वयन, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

धारा 26—क के अधीन हटाए जाने के लिए प्रतिकर का दावा

26—ख—— (1) धारा 26—क की उपधारा (4) के अधीन बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने से व्यथित व्यक्ति बाधा या अतिक्रमण हटाये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर या तो प्राधिकरण या बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने का आदेश देने वाले अधिकारी या दोनों के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष प्रतिकर या प्रत्यास्थपन या दोनों के लिए और ऐसे हटाये जाने के कारण उसे हुई हानि के लिए ऐसे अधिकारी को वैयक्तिक रूप से दायी ठहराने के लिए दावा कर सकता है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 26—क की उपधारा (4) में यथा उपबन्धित अधिक्रमण या बाधा के हटाये जाने वाले क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारित रखने वाला जिला जज, अधिकरण होगा।

(3) किसी प्रतिकर के भुगतान के लिए या किसी अचल सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझी जायेगी और उसी रूप में उसका निष्पादन होगा :

परन्तु यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरूद्ध वैयक्तिक रूप से प्रतिकर अधिनिर्णित करता है तो प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित अधिकारी के वेतन या अन्य देयों से प्रतिकर की धनराशि वसूल करे और उसका भुगतान दावेदार को करे।

(4) अधिकरण की कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

(5) अधिकरण को इस धारा के अधीन किसी दावे का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने;

(ग) किसी अचल सम्पत्ति या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करने या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करने;

(घ) दस्तावेजों को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने;

(ङ) किसी विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करने और तद्नुसार आदेश देने;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

(6) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वस्तु को, जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय या जमा की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है

26–ग–– प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना नोटिस दिए निम्नलिखित को हटा सकता है :–

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कठघरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थापक, जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुंए या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल निर्मित या संस्थापित किया जाय;

(ख) कोई दुकान, कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर तख्ता या अलमारी या अन्य कोई भी वस्तु, जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गई हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गयी हो।

अतिक्रमण निवारित न करने के लिए जुर्माना

[2]{26–घ–– (1) जो कोई, जिसको विशेष रूप से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली अथवा उपविधि के अधीन अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने का कर्त्तव्य न्यस्त किया गया हो, ऐसे अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने की स्वेच्छया जानबूझकर उपेक्षा करता है अथवा जानबूझकर लोप करता है, उस पर निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा:–

(1) प्रथम बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 10,000.00

(2) द्वितीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 20,000.00

(3) तृतीय बार उक्त कृत्य करने पर – रू० 30,000.00

उक्त कृत्य के अग्रेत्तर जारी रहने की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(2) कर्त्तव्य न्यस्त व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (यथा समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अधीन विभागीय/ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।}}[1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

भवन को गिराए जाने का आदेश

27–– (1) जहाँ कोई विकास महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में अथवा धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन अथवा अनुशास्ति के बिना अथवा किसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन ऐसी अनुमति अनुमोदन प्रदान किया गया हो, विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, प्रारम्भ किया गया हो अथवा संचालित किया जा रहा हो अथवा पूर्ण किया जा चुका हो तो धारा 26 के उपबन्धों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना [1]{ {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[5] या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी}[1] यह निदेश देते हुए कि ऐसा विकास गिराने द्वारा, भरने द्वारा अथवा अन्यथा उसके स्वामी द्वारा अथवा उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी तरफ से विकास प्रारम्भ किया गया है अथवा संचालित किया जा रहा है अथवा पूर्ण किया जा चुका है, ऐसी अवधि के भीतर जो हटाने के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन से कम और चालीस दिन से अधिक नहीं होगी, उसके लिए कारण बताते हुए संक्षिप्त विवरण के साथ, आदेश कर सकेगा और आदेश का अनुपालन करने में उसके असफल रहने पर [2]{ {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[5] या ऐसे अधिकारी}[2] विकास को हटा सकेगा अथवा हटाना कारित करा सकेगा और ऐसे हटाए जाने पर हुआ व्यय, जो [2]{ {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[5] या ऐसे अधिकारी}[2] द्वारा प्रमाणित किया जाए, स्वामी से अथवा उस व्यक्ति से, जिसकी तरफ से ऐसा विकास प्रारम्भ किया गया था अथवा संचालित किया जा रहा था अथवा पूर्ण किया गया था। भू–राजस्व के बकाए की भाँति वसूल जाने योग्य होगा और ऐसे व्यय की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्वामी अथवा सम्बन्धित व्यक्ति को यह कारण बताने हेतु कि क्यों न ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए, युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति {अध्यक्ष}[3] के समक्ष उस आदेश के विरूद्ध, उसके पारित किए जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और {अध्यक्ष}[3] अपील के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् या तो उसे स्वीकृत कर सकेगा या खारिज कर सकेगा अथवा आदेश के किसी भाग को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकेगा।

(3) {अध्यक्ष}[3] उस आदेश, जिसके विरूद्ध उपधारा (2) के अन्तर्गत उसके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई हो, के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा।

(4) अपील पर {अध्यक्ष}[3] का आदेश अन्तिम होगा और ऐसे आदेश के अधीन ही उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जायेगी।

(5) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में भवनों को गिराए जाने से सम्बन्धित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होगा और उसके अल्पीकरण में नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–– {***}[4]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 8 (क)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 8 (क) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 8 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 8 (ग) द्वारा निकाला गया।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।

विकास को रोकने की शक्ति

28–– (1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में अथवा धारा 14 में विनिर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन अथवा अनुशास्ति के बिना अथवा किसी शर्त, जिसके अधीन ऐसी अनुमति, अनुमोदन अथवा अनुशास्ति प्रदान की गई हो, के उल्लंघन में प्रारम्भ किया गया हो अथवा जारी हो, धारा 26 और 27 उपबन्धों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना प्राधिकरण का {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[1] अथवा तन्निर्मित उसके द्वारा सशक्त किया गया कोई प्राधिकरण का अधिकारी विकास को आदेश का तामील होने के दिनांक को और रोकने की अपेक्षा करते हुए आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे आदेश का तद्नुसार अनुपालन किया जाएगा।

(2) जहाँ ऐसा विकास उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में रोका न जाए तो प्राधिकरण का {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[1] अथवा उक्त अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा विकास प्रारम्भ किया गया है और उसके सभी सहायकों और कर्मकारों को विकास स्थल से ऐसी अवधि के भीतर, जो अध्युपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, हटाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्युपेक्षा का तद्नुसार अनुपालन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्युपेक्षा के अनुपालन किए जाने के पश्चात् प्राधिकरण का {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/ अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[1] लिखित आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी अथवा प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को, यह सुनिश्चित करने हेतु कि विकास जारी नहीं है, आदेशित स्थल की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश का तामील होने के पश्चात् अनुपालन जारी हो, दो सौ रूपये प्रतिदिन तक हो सकेगा।

(5) कोई व्यक्ति, किसी क्षति के लिए, जो उसे धारा 27 के अधीन किसी विकास को हटाने अथवा इस धारा के अधीन विकास को रोकने के फलस्वरूप कारित हो, किसी प्रतिकर हेतु दावेदार नहीं होगा।

(6) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में निर्माण कार्यवाहियों को रोकने से सम्बन्धित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होगा और उसके अल्पीकरण में नहीं होगा।

अनाधिकृत विकास को सील बन्द करने की शक्ति

{28–क–– (1) यथास्थिति, {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[2] या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धारा 27 या धारा 28 के अधीन किसी विकास क्षेत्र में किसी विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे विकास को, ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए विहित की जाय, सील बन्द करने का निदेश देते हुए कोई आदेश दें।

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जहां कोई विकास सील बन्द कर दिया जाय तो यथास्थिति, {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[2] या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता है।

(3) {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[2] या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के सिवाय, कोई व्यक्ति ऐसी सील को नहीं हटायेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध अध्यक्ष को अपील कर सकता है और अध्यक्ष, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(5) अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।}[1]

प्राधिकरण पर अन्य शक्तियों का अधिरोपण

29—— धारा 12 के अन्तर्गत महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी हो जाने के पश्चात् विकास प्राधिकरण अथवा इसके उपाध्यक्ष को ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और ऐसे कृत्य किए जाने योग्य हो जायेंगे, जो सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारिकी अथवा इसके मुख्य अधिशासी अधिकारी, यथास्थिति को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त थी और किए जाने योग्य थे, जिसके अधीन उस स्थानीय प्राधिकारिकी का गठन किया गया हो, किन्तु यह ऐसे अपवादों अथवा संशोधनों के अधीन होगा, जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

30—— (1) यदि अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेगें और तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा तद्नुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई ऐसा अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य प्राधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है अथवा उसके द्वारा की गई उपेक्षा के फलस्वरूप कारित हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य प्राधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण —— इस धारा के प्रयोजनों के लिये——

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी सम्मिलित है ; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के साझेदार से है।

उद्ग्रहीत जुर्मानों का प्राधिकरण को भुगतान किया जाना

31—— इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के सम्बन्ध में उद्ग्रहीत सभी जुर्मानों का भुगतान प्राधिकरण को किया जाएगा।

अपराधों का शमन

32—— (1) इस अधिनियम द्वारा अथवा कि अधीन दण्डनीय बनाया गया कोई अपराध या तो कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् { {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[2] द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा}[1] ऐसी शर्तों, जिसमें शमन शुल्क के भुगतान से सम्बन्धित कोई शर्त भी सम्मिलित होगी, जिसे {सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}[2] उचित समझे, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो, अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो तो अभियुक्त कर दिया जाएगा और शमन किए गए अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

कृत्यों का शमन

[3]{**32—क**: (1) इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1), (2), (3) एवं धारा 26क की उपधारा (3) के अधीन कारित कृत्य का शमन संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।

(2) उपाध्यक्ष द्वारा पारित शमन आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष के समक्ष तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। आयुक्त/अध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 26 घ के अधीन कारित कृत्य का शमन, सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन उपाध्यक्ष द्वारा पारित शमन आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष के समक्ष अपील तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, यदि उपाध्यक्ष, सम्बन्धित व्यक्ति का नियुक्त प्राधिकारी हो अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी। अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

(5) शमन आदेश में निर्धारित धनराशि की वसूली भू—राजस्व की भाँति की जा सकेगी।

(6) शमन आदेश, सूचना प्राप्त होने के 15 दिन में तथा शमन आदेश के विरूद्ध प्राप्त अपील का निस्तारण 30 दिन में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।}

स्वामी द्वारा चूक किए जाने की दशा में उसकी लागत पर सुविधा प्रदान करने अथवा विकास कार्य को संचालित करने तथा कतिपय मामलों में कर अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति

33—— (1) यदि स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् अथवा अपने किसी अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी सूचना के आधार पर प्राधिकरण का समाधान हो कि विकास क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जिस भूमि के सम्बन्ध में प्राधिकरण के विचार में ऐसी सुविधा की जानी चाहिए थी अथवा प्रदान की जानी चाहिए अथवा कि भूमि का कोई विकास, जिसके लिए अनुमति, अनुमोदन अथवा अनुशास्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत प्राप्त की गई हो न किया गया हो तो वह भूमि के स्वामी अथवा सुविधा प्रदान करने वाले अथवा करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को यह कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी सुविधा प्रदान करने अथवा विकास कार्य को करने हेतु अपेक्षा कर सकेगा।

....

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है अथवा ऐसा कोई विकास नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण ऐसी सुविधा स्वयं प्रदान कर सकेगा अथवा ऐसा विकास स्वयं कर सकेगा अथवा किसी ऐसे अभिकरण के माध्यम से, जिसे वह उचित समझे करा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाने से पूर्व प्राधिकरण भूमि के स्वामी को अथवा सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति अथवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को यह कारण बताने हेतु कि क्यों न ऐसी कार्यवाही की जाए, युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जाएगी।

(3) सुविधा प्रदान करने में अथवा विकास कार्य करने में प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत सम्पूर्ण व्यय, व्यय की मांग किये जाने के दिनांक से लेकर उसका भुगतान किये जाने के दिनांक तक के लिए ऐसी दर पर ब्याज सहित, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे, स्वामी से अथवा सुविधा प्रदान करने वलो व्यक्ति से अथवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाए की भांति प्राधिकरण द्वारा वसूले जाने योग्य होगा और ऐसे व्यय को वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधारा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां विकास क्षेत्र में किसी भूमि के कई भू–स्वामियों द्वारा, जो उक्त भूमि के आधे क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व न करते हों, के द्वारा लिखित प्रत्यावेदन दिए जाने पर प्राधिकरण का समाधान हो कि ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जो प्राधिकरण के विचार में प्रदान की जानी चाहिए थी अथवा प्रदान की जानी चाहिए अथवा कि उस भूमि का कोई विकास, जिसके लिए इस अधिनियम अथवा {इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व}[1] प्रचलित किसी विधि के अधीन कोई अनुमति, अनुमोदन अथवा अनुशंसा प्राप्त की गई थी, नहीं किया गया है तो वह स्वयं ऐसी सुविधा प्रदान कर सकेगा अथवा ऐसा विकास कार्य स्वयं कर सकेगा अथवा किसी अभिकरण के द्वारा, जिसे वह उचित समझे, ऐसी सुविधा प्रदान करा सकेगा अथवा विकास करा सकेगा तथा उक्त भूमि के सभी स्वामियों से कर के रूप में सम्पूर्ण उपगत व्यय वसूल कर सकेगा :

परन्तु उक्त प्रत्यावेदन करने वाले भू–स्वामी यदि यह अभिकथित करते हैं कि सुविधा प्रदान करने के लिए अथवा विकास कार्य करने के लिए कालोनाइजर अथवा सहकारी अथवा समिति, जिससे अथवा जिसके माध्यम से उनके द्वारा भूमि प्राप्त की गई थी, द्वारा करार की गई थी, वे ऐसी करार अथवा अन्तरण विलेख अथवा ऐसी करार करने वाली समिति की उपविधियों की एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और इस उपधारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कालोनाइजर अथवा समिति, यथास्थिति को यह कारण बताने हेतु कि क्यों न ऐसी कार्यवाही की जाए, नोटिस न दी गई हो :

परन्तु अग्रेत्तर कि जहां प्राधिकरण का समाधान हो कि कालोनाइजर अथवा समिति समाप्त हो चुकी है अथवा खोजे जाने योग्य न रह गई है तो पूर्ववर्ती परन्तुक के अन्तर्गत कोई नोटिस दी जानी आवश्यक नहीं होगी।

{(4–क) जहां प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित किसी क्षेत्र में कोई सुख–सुविधा उपलब्ध करे तो प्राधिकरण, जब तक धारा 34 में यथा उपबन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ली जाय, भूमि या भवन के स्वामी से उसके लिए ऐसी सुख–सुविधा को बनाये और जारी रखने के लिए उपगत व्ययों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रभार, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा नियत किये जायं, विहित रीति से वसूल करने का हकदार होगा।}[2]

(5) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट उपकर, सुविधा प्रदान करने अथवा विकास करने में प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय तथा कार्य के पूर्ण किए जाने के दिनांक से भुगतान के समय तक के लिए ऐसी दर से ब्याज के साथ, जो राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा नियत की जायेगा, के बराबर होगा तथा भूमि में सभी भू–स्वामियों के सम्बन्धित अंश के अनुपात में, उस पर निर्धारित और अधिरोपित किया जायेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

(6) उक्त उपकर ऐसी किश्तों में और ऐसे समय पर देय होगा, जो प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाये। उपकर का कोई बकाया भू—राजस्व के बकाया की भांति वसूलाने योग्य होगा तथा उसकी वसूली हेतु कोई वाद सिविल न्यायालय में संस्थित नहीं किया जायेगा।

(7) इस धारा के अधीन प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्ययों को प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा ऐसा प्रमाण, उपधारा (5) के अन्तर्गत उपकर के निर्धारण के लिए भी यदि कोई हो, अन्तिम होगा।

(8) यदि भूमि के स्वामी और उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कालोनाइजर अथवा समिति के बीच किसी करार के अन्तर्गत सुविधा प्रदान करने अथवा विकास करने का उत्तरदायित्व ऐसे कालोनाइजर अथवा समिति के ऊपर हो तो इस उपधारा के अन्तर्गत स्वामियों द्वारा देय उपकर उनके द्वारा कालोनाइजर अथवा समिति, यथास्थिति से वसूले जाने योग्य होगा।

कतिपय मामलों में स्थानीय प्राधिकारिकी से प्राधिकरण की शक्तियों को ग्रहण करने की अपेक्षा

34—— जहां कोई क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया हो, तो प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकारिकी से, जिसकी सीमा के भीतर उक्त विकसित क्षेत्र स्थित हो, से सुविधाओं की देखरेख, जो उक्त क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु, जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हो किन्तु जो उसके विचार में उस क्षेत्र में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों पर, जिस पर प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकारिकी के बीच करार हो तथा जहां ऐसी शर्तों और निबन्धन पर करार न हो सके तो मामले को प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने पर, स्थानीय प्राधिकारिकी के साथ परामर्श से सरकार द्वारा नियत शर्तों और निबन्धनों पर उत्तरदायित्व संभालने की अपेक्षा कर सकेगा।

उन्नति प्रभार अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति

35—— (1) जहां प्राधिकरण के विचार में किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न की गई किसी विकास योजना के फलस्वरूप उस क्षेत्र, जिसे विकास द्वारा लाभ पहुंचा हो, में किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया हो अथवा बढ़ेगा तो प्राधिकरण सम्पत्ति के स्वामी पर अथवा उसमें हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर, विकास के सम्पन्न किए जाने के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में उन्नति प्रभार अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई उन्नति प्रभार सरकार के स्वामित्व के अधीन किसी भूमि के सम्बन्ध में अधिरोपित नहीं किया जाएगा :

परन्तु अग्रेत्तर कि जहां सरकार से सम्बन्धित कोई भूमि किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा पट्टे अथवा अनुज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की गई हो तो वह भूमि और उस स्थित कोई भवन इस धारा के अन्तर्गत उन्नति प्रभार के अधीन होगा।

(2) ऐसा उन्नति प्रभार——

(एक) किसी विकसित क्षेत्र में किसी टाउनशिप अथवा कॉलोनी में अथवा विकसित अथवा पुनः विकसित क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उस रकम के एक तिहाई के बराबर; तथा

(दो) ऐसी टाउनशिप, कॉलोनी तथा अन्य क्षेत्र से बाहर स्थित उपर्युक्त किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, उस रकम के एक तिहाई से अनधिक,

जो ऐसे विकास के पूर्व सम्पत्ति के निर्माण मुक्त होने पर अनुमानित मूल्य और ऐसे विकास के पूर्ण होने पर तत्समान सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य के अन्तर के बराबर होगी, होगा।

प्राधिकरण द्वारा उन्नति प्रभार का निधारण

36–– (1) जब {उपाध्यक्ष}[1] को यह प्रतीत हो कि कोई विशेष विकास योजना पर्याप्त रूप से इतना आगे बढ़ चुकी है कि उन्नति प्रभार की रकम निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है, {उपाध्यक्ष}[1] तन्निमित आदेश द्वारा, यह प्रख्यापित कर सकेगा कि उन्नति प्रभार के निर्धारण के प्रयोजनार्थ योजना पूर्ण हो गई समझी जाएगी और तदुपरान्त सम्पत्ति के स्वामी को अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति को लिखित रूप में यह नोटिस देगा कि {उपाध्यक्ष}[1] ने धारा 34 के अधीन आने वाली सम्पत्ति पर उन्नति प्रभार की रकम का निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया है।

(2) {उपाध्यक्ष}[1] तब सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा देय उन्नति प्रभार की रकम का निर्धारण, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् करेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्धारण की लिखित सूचना, {उपाध्यक्ष}[1] से प्राप्त होने के दिनांक से तीन माह के भीतर {उपाध्यक्ष} को लिखित रूप में यह सूचना देगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है अथवा नहीं।

(3) जब {उपाध्यक्ष}[1] द्वारा प्रस्तावित निर्धारण सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, स्वीकृत कर लिया जाए तब ऐसा निर्धारण अन्तिम होगा।

(4) यदि सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारण से असहमत हो अथवा उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना {उपाध्यक्ष}[1] को देने में उक्त अवधि के भीतर असफल रहता है तो मामला {अध्यक्ष}[1] द्वारा निर्धारित किया जाएगा {और ऐसे अवधारण पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।}[2]

विनिश्चयों का अन्तिम होना

{37–– अपील पर अध्यक्ष का [4]{ {धारा 7–ख}[5] में उपबन्धित का अपवाद करते हुए, प्रत्येक विनिश्चय}[4] और केवल अपील पर (यदि वह की जा सकती हो और की जाय) किसी विनिश्चय के अधीन रहते हुए धारा 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।}[3]

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा

{37–क–– (1) किसी सिविल न्यायालय को ऐसे मामले में जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम के अनुसार निस्तारण किया जा सकता है, कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा आच्छादित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिए राज्य सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण के विरूद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकेगा।

(3) सभी वाद, अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और इन वादों से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0 5 वर्ष 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन कार्यवाहियों सहित अन्य सभी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक कार्यवाहियाँ, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों और अन्तरिम आदेशों से उत्पन्न सभी निगरानी जो इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी मामले से सम्बन्धित हों एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों, सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से अन्तरित हो जायेंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण मामलों को उसी रीति से निस्तारित करेगा, मानो कि वह इस अधिनियम की धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7–ख के अन्तर्गत योजित हुए हों :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 10 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 10 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7–ख के उपबन्धों के अध्यधीन कोई परिवाद अथवा कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, के साथ जिस स्थिति में वाद उपर्युक्त रूप में अन्तरित किया गया हो, को आगे उस प्रकार चलायेगा जैसे कि मानो यह उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।}[2]

उन्नति प्रभार का भुगतान

38—– (1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित उन्नति प्रभार इतनी किस्तों में देय होगा और प्रत्येक किस्त ऐसे समय पर और ऐसी रीति देय में होगा, जो तन्निमित निर्मित उपविधियों द्वारा नियत किया जाए।

(2) उन्नति प्रभार का कोई बकाया भू–राजस्व के बनाए भांति वसूले जाने योग्य होगा और ऐसे बकाए की वसूली के लिए कोई वाद सिविल न्यायालय संस्थित नहीं किया जाएगा।

भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार और नगरीय विकास अधिभार उद्गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति

{38–क—– (1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में धारा 13 के अधीन किसी भू स्वामी के अनुरोध पर महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया जाता है, वहाँ ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, स्थानीय विकास प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार के दौरान नहीं की जायेगी, वरन् भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक से व्यवहरण शुल्क के रूप में स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित ऐसी धनराशि ली जा सकेगी जो कि आवेदन पत्र के परीक्षण एवं समाचार–पत्रों में आपत्ति प्रकाशन की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक हो। सम्यक विचारोपरान्त आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाये जाने पर ही भू उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामी से की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भूमि का भू–उपयोग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् स्वतः परिवर्तित हो जाता है, वहाँ कोई भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार, ऐसी भूमि के स्वामी से उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि संकलित करने और उसका विकास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो, वहाँ प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति से और ऐसे दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, नगर विकास अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।}[3]

39—– {***}[1]

सुख–सुविधा के लिए पथ–कर

{39–क—– प्राधिकरण अपने क्षेत्र के भीतर इस प्रकार अधिसूचित लोकप्रिय समागम स्थान के (जिसमें कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक सम्मिलित है) पहुंच मार्ग के लिये और अन्य सुख–सुविधा के उयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथ–कर लगाने और परिदर्शकों से संग्रह करने का हकदार होगाः

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा निरसित किया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 30 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया।

परन्तु –

(क) पथ–कर की दर प्रति परिदर्शक {एक हजार रूपये}[5] से अधिक न होगी;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्गों के परिदर्शकों को पथ–कर देने से छूट दे सकती है और ऐसा या ऐसे दिन नियत कर सकती है जब कोई पथ–कर नही लगाया जायगा।}[2]

भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए अनुज्ञा

{39–ख–– स्थानीय विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाय, अनुज्ञा दे सकता है।}[6]

प्राधिकरण को देय धनराशि की वसूली

{40–– किसी धनराशि को, जो प्राधिकरण को किसी फीस या प्रभार के मद्धे या भूमि, भवन या किसी भी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, व्ययन से किराया, प्रीमियम, लाभ या अवक्रय किस्त के रूप में देय हो, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित वसूली की किसी अन्य रीति द्वारा वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित रूप में वसूल किया जायगा ––

(क) या तो प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर को भेजे गये धनराशि के प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व की बकाया के रूप में; या

(ख) {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[4] की धारा 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 में उपबन्धित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबन्ध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी {नगर निगम}[4] को देय कर की वसूल पर लागू होते हैं, किन्तु इस प्रकार उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं में ''मुख्य नगराधिकारी'', {''नगर पालिका''}[4] और ''कार्यकारिणी समिति'' के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः ''उपाध्यक्ष', ''विकास प्राधिकरण'' और ''अध्यक्ष'' के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा :

परन्तु वसूली की दो या अधिक रीति को एक साथ प्रारम्भ नहीं किया जायगा या जारी नहीं रखा जायगा।}[3]

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

41–– (1) [1]{ {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[7] अध्यक्ष या उपाध्यक्ष}[1] राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने हेतु समय–समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करेंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 7 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 46 वर्ष 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1985 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 32 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उपर्युक्त की धारा 33 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

{(2) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और यहॉ तक कि स्थानीय प्रकरणों अथवा उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई अन्य नियुक्त/पदाभिहित व्यक्ति/अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा और ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।}[2]

(3) {***}[3]

{(4) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।}[1]

विवरणी और निरीक्षण

42—— (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य संसूचनाएं दे सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय—सयम पर अपेक्षित की जाये।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना, राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तन्निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी महायोजना के लागू किए जाने से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट, विवरणी अथवा अन्य संसचूनाएं प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकारी से मंगा सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, किसी भूमि पर यह सुनिश्चित करने हेतु कि महायोजना के उपबन्धों को लागू किया जा रहा है अथवा लागू किया जा चुका है अथवा नहीं, अथवा विकास ऐसी योजना के अनुसार किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है अथवा नही, सहायकों अथवा कर्मकारों के साथ अथवा उनके बिना प्रवेश कर सकेगा।

(4) ऐसा कोई प्रवेशन सूर्योदय और सूर्यास्त के घंटो के बीच के सिवाय और अध्यासी को यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को युक्तियुक्त नोटिस दिए बिना नहीं किया जायेगा।

नोटिस आदि का तामिल

43—— (1) इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियमावली अथवा विनियम द्वारा अपेक्षित सभी नोटिस, आदेश अथवा अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम अथवा ऐसी नियमावली अथवा विनियम में यथाउपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति पर निम्न तामील में सम्यक रूप से तामील किया गया समझा जाएगा ——

(क) जहां तामील किया जाने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो और यदि दस्तावेज कम्पनी के सचिव को उसके पंजीकृत कार्यालय पर अथवा उसके मुख्य कार्यालय अथवा कारोबार स्थल पर सम्बोधित हो एवं ——

(एक) या तो पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया हो; या

(दो) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय अथवा कारोबार स्थल पर परिदत्त किया गया हो।

(ख) जहां तामील किया जाने वाला व्यक्ति कोई फर्म हो और यदि दस्तावेज फर्म को उसके कारोबार के मुख्य स्थल, उसके नाम अथवा स्टाइल, जिसके अधीन उसका कारोबार किया जा रहा हो, को विनिर्दिष्ट करते हुए सम्बोधित हो, एवं :—

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 7 (दो) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 33 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 33 (2) द्वारा निकाला गया।

(एक) या तो पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया हो; या

(दो) कारोबार के उक्त स्थल पर परिदत्त किया गया हो।

(ग) जहां तामील किया जाने वाला व्यक्ति कोई लोक निकाय अथवा निगम अथवा सोसाइटी अथवा अन्य निकाय हो और यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम अथवा सोसाइटी के प्रधान कार्यालय में सचिव, कोषाधिकारी अथवा अन्य मुख्य अधिकारी को सम्बन्धित हो; एवं :——

(एक) या तो पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया हो; या

(दो) उसके कार्यालय में परिदत्त किया गया हो।

(घ) किसी अन्य दशा में, यदि दस्तावेज तामील किए जाने वाले व्यक्ति को सम्बोधित हो; और ——

(एक) उसे प्रदान किया गया हो अथवा निविदित्त किया गया हो; अथवा

(दो) यदि ऐसा व्यक्ति खोजा न जा सके, उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थल अथवा कारोबार स्थल, यदि विकास क्षेत्र के भीतर हो, के किसी दृष्टिगोचर भाग पर चस्पा कर दिया गया हो अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को प्रदान कर दिया जाए अथवा निविदित्त कर दिया जाए अथवा भूमि अथवा भवन, जिससे वह सम्बन्धित हो, के किसी दृष्टिगोचर भाग पर चस्पा कर दिया जाए ; अथवा

(तीन) उस व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दिया जाए।

(2) कोई दस्तावेज, जो किसी भूमि अथवा भवन के किसी स्वामी अथवा अध्याशी पर तामील किया जाना अपेक्षित हो अथवा किए जाने हेतु प्राधिकृत हो, भूमि अथवा भवन (उस भूमि अथवा भवन का नाम) के स्वामी अथवा अध्यासी, यथास्थिति को बिना किसी अग्रेत्तर नाम अथवा विवरण के, सम्बोधित किया जा सकेगा और निम्न स्थिति में सम्यक रूप से तामील किया गया समझा जायेगा :——

(क) यदि उक्त प्रकार से सम्बोधित दस्तावेज उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार प्रेषित अथवा परिदत्त किया जाए; अथवा

(ख) यदि उक्त प्रकार से सम्बोधित दस्तावेज अथवा उक्त प्रकार से सम्बोधित उसकी प्रतिलिपि भूमि अथवा भवन पर किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दी जाए अथवा जहां भूमि अथवा भवन पर कोई व्यक्ति न हो, जिसे उसे परिदत्त किया जा सके तो भूमि अथवा भवन के किसी दृष्टिगोचर भाग पर चस्पा कर दिया जाए।

(3) जब दस्तावेज किसी फर्म पर उपधारा (1) के खण्ड 'ख' के अनुसार तामील हो जाए तो वह दस्तावेज फर्म के प्रत्येक भागीदार पर तामील किया गया समझा जायेगा।

(4) किसी दस्तावेज को, किसी सम्पत्ति के स्वामी पर, तामील करने योग्य बनाने हेतु प्राधिकरण का सचिव लिखित नोटिस द्वारा सम्पत्ति के अध्यासी, यदि कोई हो, से उसके स्वामी का नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) जहां व्यक्ति, जिस पर दस्तावेज की तामील की जानी हो, अवयस्क हो, उसके संरक्षक अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर तामील अवयस्क पर तामील समझी जाएगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई सेवक परिवार का सदस्य नहीं है।

44—— इस अधिनियम के अधीन हर लोक सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर से लिखित रूप में दी जाएगी और उससे प्रभावित क्षेत्र में, उक्त क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर उसकी प्रतिलिपियाँ चस्पा करके अथवा डुग्गी पीट कर उसके प्रकाशन द्वारा अथवा उस क्षेत्र में प्रसार वाले समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा अथवा इनमें से दो अथवा अधिक तरीकों से अथवा किसी अन्य रीति से, जिसे सचिव उचित समझे, विस्तृत रूप से जानकारी में लाई जाएगी।

लोक सूचना किस प्रकार से जानकारी में लाई जाएगी

45—— जहां कोई नोटिस, आदेश अथवा अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के अधीन जारी अथवा निर्मित किया गया हो, किसी कार्य को करने की अपेक्षा करे, जिसके करने हेतु इस अधिनियम अथवा नियम अथवा विनियम में कोई अवधि निर्धारित न की गई हो तो नोटिस, आदेश अथवा अन्य दस्तावेज में उसे करने हेतु युक्तियुक्त अवधि नियत की जा सकेगी।

नोटिस आदि द्वारा युक्तियुक्त अवधि नियत किया जाना

46—— प्राधिकरण की सभी अनुमति, आदेश, निर्णय, नोटिस और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव अथवा प्राधिकरण द्वारा तन्निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा।

प्राधिकरण के आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

{46—क—— राज्य प्राधिकरण की सभी अनुज्ञाएं, आदेश, सूचनाएं और अन्य अभिलेख मुख्य प्रशासक अथवा इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित किए जायेंगे।}[1]

राज्य प्राधिकरण के आदेशों और अभिलेखों का अधिप्रमाणन

47—— प्राधिकरण का हर सदस्य और हर अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक समझा जाएगा।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना

{47—क—— राज्य प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोकसेवक समझे जायेंगे।}[2]

राज्य प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे

48—— [3]{प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम **की धारा 26क की उपधारा (1)** के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा। }

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

49—— इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा तन्निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुशास्ति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

अभियोजन हेतु अनुशास्ति

50—— किसी व्यक्ति के विरूद्ध, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने हेतु आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण

51—— (1) राज्य सरकार, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्ति, सिवाय नियम निर्मित करने की शक्ति के, का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा भी, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जा सके।

प्रत्यायोजन की शक्ति

---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 34 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 35 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] { (2) **राज्य प्राधिकरण,** सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि विनियम या उपविधि बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाए, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।}

(3) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्ति का प्रयोग प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जा सके।

[1]{(4) राज्य प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अपर मुख्य प्रशासक **अथवा संयुक्त मुख्य प्रशासक अथवा किसी अन्य अधिकारी** द्वारा भी प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा ।}

52—— इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी —— व्यावृत्तियाँ

(क) किसी भवन के अनुरक्षण सुधार अथवा अन्य परिवर्तन के लिए कार्य किए जाने पर, जो ऐसा कार्य हो, जो मात्र भवन के आंतरिक भाग को प्रभावित करता हो अथवा जो भवन के वाह्य दृश्य को तात्विक रूप से प्रभावित न करता हो;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारिकी द्वारा अथवा किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी नाली, सीवर, मेन्स पाइप, केबिल और अन्य उपकरणों, जिसमें किसी गली अथवा अन्य भूमि को उस प्रयोजन हेतु तोड़ना भी सम्मिलित है, के निरीक्षण, मरम्मत अथवा नवीनीकरण के प्रयोजनार्थ किसी कार्य को करने पर;

(ग) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग की तरफ से अथवा के द्वारा निर्माण कार्यवाहियों पर (इसमें अनुरक्षण, विकास और नवनिर्माण भी सम्मिलित है);

(घ) किसी भवन के निर्माण पर, जो निवास गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के प्रयोग के प्रयोजनार्थ उपेक्षित हो;

(ङ) उत्खनन (कूप को सम्मिलित करते हुए), जो कृषि कार्यवाहियों के सामान्य प्रक्रम में किया जाए पर; तथा

(च) अधातु कृत्रिम सड़क के निर्माण पर, जो मात्र कृषि प्रयोजनार्थ सम्पर्क भाग के रूप में निर्मित की जाए।

53—— इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भूमि अथवा भवन को अथवा भूमि अथवा भवन के किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से अवमुक्त प्रदान कर सकेगी। अवमुक्ति

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 18 वर्ष 2022 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

कतिपय मामलों में योजनाओं का संशोधित होना

54—— (1) जहां विकास क्षेत्र में स्थित कोई भूमि महायोजना अथवा किसी क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा खुले स्थान अथवा अवनिर्मित रूप से रखे जाने हेतु अपेक्षित हो अथवा किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अधिग्रहण के विषय के रूप में प्रदर्शित की गई हो तो धारा 12 के अधीन योजना के लागू होने के दिनांक से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अथवा जहां ऐसी भूमि ऐसी योजना में किसी संशोधन के द्वारा उक्त प्रकार से अपेक्षित हो अथवा प्रदर्शित की गई हो, ऐसे संशोधन के लागू होने के दिनांक से धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भूमि अनिवार्य रूप से अधिगृहीत करने हेतु अपेक्षा करते हुए, एक नोटिस की तामील करेगा।

(2) यदि राज्य सरकार नोटिस के दिनांक से छः माह के भीतर ऐसी भूमि को अधिगृहीत करने में असफल हो जाए तो महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना, यथास्थिति, उक्त छः माह की अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् इस प्रकार से लागू होगी मानो उक्त भूमि खुले स्थान के रूप में अथवा अनिर्मित रूप में रखे जाने हेतु अपेक्षित नहीं थी अथवा अनिवार्य अधिग्रहण किए जाने के अधीन प्रदर्शित नहीं थी।

नियम बनाने की शक्ति

55—— (1) राज्य सरकार {या राज्य प्राधिकरण}[3], सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूर्ण करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम विशेष रूप से निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं मामलों के बारे में उपबन्ध कर सकेगा ——

{(क) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अपील के ज्ञापन पर फीस का उद्गृहीत किया जाना;}[1]

(ख) {अध्यक्ष}[2] द्वारा उन्नति प्रभार के निर्धारण में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा शक्तियाँ, जो उस प्रयोजन हेतु उसे प्राप्त हो;

(ग) कोई अन्य मामला, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए।

[6]{(2क) (एक) राज्य सरकार समय—समय पर अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना और/या नगर नियोजन योजना तैयार, क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु नियम बना सकेगी।

(दो) राज्य प्राधिकरण समय—समय पर अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना और/या नगर नियोजन योजना को तैयार, क्रियान्वयन हेतु विनियम बना सकेगा।}

(3) {***}[4]

विनियम बनाने की शक्ति

56—— (1) कोई {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[5], राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[5], के कार्यों को संचालित करने हेतु, इस अधिनियम और तदन्तर्गत बने नियमों से अप्रतिकूल, विनियम बना सकेगा।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यतया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, ऐसे विनियम विशेष रूप से निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं मामलों के बारे में उपबन्ध कर सकेंगे :—

(क) {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[5], की बैठक बुलाने और संचालित करने, समय और स्थान, जहां ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कारोबार का विवरण तथा उसके कोरम के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 38 (1) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 38 (2) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 39 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

(ख) {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[2], के सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य;

[3]{ [4]{ (खख) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, **संयुक्त मुख्य प्रशासक,** और वित्त नियंत्रक की शक्तियॉ और कर्त्तव्य ;}[3]

(ग) सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें;

[3]{ [4]{(गग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, **संयुक्त मुख्य प्रशासक,** वित्त नियंत्रक, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;}[4]

(घ) अध्याय 3 और 4 के अधीन {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[2], के कृत्यों को संचालित करने हेतु प्रक्रिया;

(ङ) अनुमति हेतु आवेदन पत्रों की पंजिका का प्ररूप और ऐसी पंजिका में अन्तर्विष्ट किए जाने वाले विवरण;

(च) {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[5], की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

{(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पर दी जाने वाली फीस;

(ज) दस्तावेजों तथा मानचित्रों के निरीक्षण या उनकी प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली फीस;

(झ) कोई अन्य विषय, जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना हो या किसी जाय।}[1]

(3) जब तक किसी क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण की स्थापना न हो जाए, उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई विनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और उक्त प्रकार से बना कोई विनियम सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अन्तर्गत अपनी शक्ति के प्रयोग में परिवर्तित अथवा निरसित किया जा सकेगा।

उपविधियाँ बनाने की शक्ति

57–– {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[6], राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, आम जनता को प्रभावित करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के संचालित करने हेतु, कोई उपविधि, जो इस अधिनियम और तदन्तर्गत बने नियमों के प्रतिकूल न हो, बना सकेगा और इस शक्ति की सामान्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, ऐसी उपविधियाँ निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगीः–

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 39 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2022 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 धारा 39 (3) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 धारा 39 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) प्ररूप, जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति हेतु कोई आवेदन–पत्र दिया जाएगा और ऐसे आवेदन–पत्र में दिया जाने वाला विवरण;

(ख) धारा 16 में विनिर्दिष्ट शर्तें और निबन्धन, जिनकी अधीन मानत्रित के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग जारी रह सकेगा;

{(खख) धारा 32 के अधीन अपराधों के शमन के लिए मार्ग–दर्शन करने वाले सिद्धान्त;}[1]

(ग) धारा 30 के अधीन उन्नति शुल्क के भुगतान की रीति;

[2]{(घ) भवनों के नक्शे या जल प्रदाय, जल निकास तथा मल वहन प्रणाली को तैयार करने के लिए वास्तुकलाविद्, नगर नियोजन इंजीनियरों, सर्वेक्षकों, नक्शानवीसों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए दी जाने वाली फीस;

(ङ) जब तक धारा 9 में उल्लिखित परिक्षेत्रीय योजनायें तैयार नहीं हो जाती, तब तक उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट विषय;

[3]{(ङङ) मुख्य सड़क की परिभाषा और रंग–व्यवस्था और अन्य विनिर्दिष्टियां, जिनके अनुसार ऐसी सड़क से संसक्त भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग धारा 12–क के अधीन की जायेगी;}[3]

(च) कोई अन्य विषय, जिसे उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।}[2]

प्राधिकरण का भंग किया जाना

58–– (1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो कि जिन प्रयोजनों हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] की स्थापना की गई थी, वे तात्विक रूप से प्राप्त हो चुके हैं, जिससे कि राज्य सरकार के विचार में प्राधिकरण का विद्यमान रहना अनावश्यक हो गया है तो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि ऐसे दिनांक से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, प्राधिकरण भंग हो जाएगा और तद्नुसार प्राधिकरण भंग समझा जाएगा।

(2) उक्त दिनाँक :–

(क) सभी सम्पत्ति, निधि और देय, जो {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] में निहित हो अथवा के द्वारा वसूले जाने योग्य हो, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे अथवा के द्वारा वसूले जाने योग्य हो जायेंगे;

(ख) सभी नजूल भूमि, जो {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] के निस्तारण हेतु उसके अधीन की गई थी, राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएगी;

(ग) {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[4] के विरूद्ध लागू होने वाले सभी उत्तरदायित्व राज्य सरकार के विरूद्ध लागू होंगे; तथा

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 14 (1) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 14 (2) द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) कोई विकास कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ, जो {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[6] द्वारा पूर्णतः संचालित न किया गया हो तथा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों की वसूली के प्रयोजनार्थ {राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}[6] के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

निरसन आदि और व्यावृत्तियां

59–– (1) (क) {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[4] की धारा 5 के खण्ड (ग), धाराएं 54, 55 तथा 56 की धारा 114 का खण्ड (33), धारा 117 की उपधारा (3), धारा 119 की उपधारा (1) का खण्ड (ग), धारा 191, धारा 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, और 333, धारा 334 की उपधारा (1) का खण्ड (क) और (ख), धारा 335, 336 और अध्याय 14 {उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916}[4] की धाराएं 178, 179, 180–क, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222 (अथवा उक्त धाराएं जिस प्रकार से वे उसकी धारा 338 के अधीन अथवा यू0पी0 टाउन एरिया ऐक्ट की धारा 38 के अन्तर्गत विस्तृत की गई हो), {उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम, 1961}[5] की 162 से 171 तक की धाराएं और उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 {उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर, जो उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो या जो उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन विज्ञापित किया गया हो तथा जो तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिए अनुमोदित की जाएं या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाए, जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् ''विशेष आवास परिषद् स्कीम'' कहा गया है,}[2] के सिवाय, किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में निलम्बित रहेगी और {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[4] की धारा 139 की उपधारा (3) इस प्रकार से लागू होगी मानो उस क्षेत्र के लिए प्राधिकरण के गठन के दिनांक से ऐसे प्राधिकरण के भंग किए जाने तक विकास निधि को गठित करने की अपेक्षा निलम्बित था और {संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24}[1] ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होगी मानो निलम्बन इस अधिनियम के द्वारा उक्त उपबन्धों का निरसन हो तथा विशेष रूप से उक्त उपबन्धों के अधीन सुधार योजनाओं के लिए भूमि के अध्यासन और भूमि के हक से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियाँ, जो ऐसे निलम्बन से ठीक पूर्व किसी न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकरण के समक्ष लम्बित हो, जारी रहेगी और उक्त उपबन्धों के अनुसार (जो यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे), मानो वे उपबन्ध निलम्बित न हो, पूर्ण की जाएगी {और ऐसे सभी कार्य, जिन्हें यदि उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 निलम्बित न होता तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी कर सकते और जिन्हें ऐसे निलम्बन के पश्चात् उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 प्रयुक्त होने के कारण, अब भी किया जा सकता है, को करने की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष में निहित होगी;}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 15 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 47 वर्ष 1976 की धारा 6 (क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 6 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 11 (1)(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(कक) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) विकास क्षेत्र की उद्घोषणा की तारीख से निरसित हो जायेगा और उस तारीख से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के अन्तर्गत गठित उस क्षेत्र का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भंग हो जायेगा।}[4]

(ख) खण्ड (क) {और खण्ड (कक)}[6] के अनुसार निलम्बित {और निरसित}[5] उपबन्ध धारा 58 के अधीन प्राधिकरण को भंग किए जाने के पश्चात् पुनर्जीवित हो जाएंगे और {संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24}[1] के उपबन्ध, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के लागू न रह जाने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे इन उपबन्धों का प्रभाव में न रहना निरसन माने जाने पर होते;

{(ग) खण्ड (क) {और खण्ड (कक)}[6] और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 अथवा {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[3] {या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986}[7] के अधीन कोई उपविधियां, निदेश और विनियम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायें।}[2]

{(घ) इस अधिनियम के अधीन गठित सभी विकास प्राधिकरण विद्यमान रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा गठित स्थानीय विकास प्राधिकरण समझे जायेंगे तथा उनके द्वारा ऐसी पदास्थिति में निर्वहन किए गए कोई कृत्य अथवा कर्तव्य इस अधिनियम के अधीन किए गए कृत्य और कर्तव्य समझे जायेंगे।}[8]

(2) जहाँ कोई क्षेत्र, जिसके लिए यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 के अधीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गठित किया गया था, विद्यमान है और उक्त अधिनियम की धारा 3 एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, 1961, यदि लागू हो, के अधीन विकसित क्षेत्र घोषित किया गया हो, उस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक से, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निरसित हो जाएगा और ऐसे दिनांक से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट भंग समझा जाएगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 15 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 15 (क) (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 11 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 42 (1) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 42 (2) द्वारा अन्तःस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 42 (3) द्वारा अन्तःस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 42 (4) द्वारा अन्तःस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 42 (5) द्वारा बढ़ाया गया।

(3) {ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[3] में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की {नगर निगम}[4] के अधिष्ठान के समस्त पद, जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966, जिसे आगे इस धारा में केन्द्रीयित सेवायें कहा गया है, द्वारा नियंत्रित पद न हों किन्तु जो अनन्यतः उक्त अधिनियम के अध्याय 14 अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 {या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986}[5] के अधीन उसके कार्य–कलापों के सम्बन्ध में हो, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा प्राधिकरण अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे तथा उस नगर की {नगर निगम}[4] के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो किसी सेवा के सदस्य न हों, चयन, जिनकी संख्या इस प्रकार अन्तरित पदों की संख्या से अधिक न हो, उन पदो पर नियुक्त किये जाने के लिए ऐसे निदेशों के अनुसार किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाये और इस प्रकार चयन किये जाने पर वे विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण करेंगे, जिन पर वे पद धारण करते होते, यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता और तब तक उसी प्रकार पद धारण करते रहेंगे, जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा शर्तें और निबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती :}[1]

परन्तु {नगर निगम}[4] {या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 में विहित कृत्यों के सम्बन्ध में}[6] के अधीन ऐसे किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा प्राधिकरण के गठन से पूर्व की गई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु अग्रेत्तर की प्राधिकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कृत्यों के निष्पादन हेतु ऐसे किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे और हर ऐसा अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार निर्वहन करेंगे।

{(4) ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[3] में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की {नगर निगम}[4] {या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण}[7] के अधिष्ठान के समस्त पद, जो केन्द्रीयित सेवाओं द्वारा नियंत्रित हों और अनन्यतः उसके उक्त कार्यकलापों के सम्बन्ध में हो, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, किन्तु ऐसे पद केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों द्वारा उसी प्रकार भरे जाते रहेंगे, जिस प्रकार वे भरे जाते, यदि वे प्राधिकरण को अन्तरित न किये गये होते और उक्त अधिनियम तथा केन्द्रीयित सेवाओं से सम्बन्धित नियम तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे।}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 15 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 15 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 11 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 42 (6) द्वारा अन्तःस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 42 (7) द्वारा अन्तःस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 42 (8) द्वारा अन्तःस्थापित।

(5) विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक से ठीक पूर्व उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अधीन सेवारत हर अधिकारी और अन्य कर्मचारी, ऐसे दिनांक को और से ऐसे पदनाम के साथ, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, विकास प्राधिकरण में अन्तरित हो जाएंगे और उसके अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी हो जाएंगे तथा उसी अवधि, उसी वेतन और उन्हीं शर्तों और निबन्धनों के अधीन पद धारण करेंगे, जिनके अधीन वे धारण करते, यदि प्राधिकरण का गठन न हुआ होता और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कि ऐसी अवधि, वेतन और सेवा शर्तों और निबन्धनों को प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित न कर कर दिया जाए :

परन्तु ट्रस्ट के अधीन, ऐसे किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा, प्राधिकरण के गठन से पूर्व की गई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु अग्रेत्तर कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहन हेतु किसी ऐसे अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे और हर ऐसा अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का निर्वहन तद्नुसार करेगा।

(6) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी ––

(क) उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट किन्हीं अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही (जिसमें जारी की गई अधिसूचना अथवा आदेश अथवा निर्मित की गई स्कीम अथवा प्रदान की गई अनुमति भी सम्मिलित है), जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी, जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए गए किसी कार्य अथवा की गई किसी कार्यवाही के द्वारा अभिभावी न कर दिया जाए;

(ख) उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारिकी द्वारा उपगत सभी ऋण, दायित्व और कर्तव्य, उसके साथ की गई सभी संविदाएं और उसके द्वारा, उसके साथ अथवा उसके लिए किए जाने हेतु नियोजित सभी कार्य और मामले, जो इस अधिनियम के अधीन विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के सम्पादन से पूर्णतः सम्बन्धित हो, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को उपगत समझे जाएंगे और उसके द्वारा, उसके साथ अथवा उसके लिए किए गए अथवा किए जाने हेतु नियोजित हुए समझे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में निहित सभी चल और अचल सम्पत्ति सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएगी और {उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी}[1] में निहित सभी चल और अचल सम्पत्ति, जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से पूर्णतः सम्बन्धित हो, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएगी;

(घ) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को देय सभी किराए, शुल्क और अन्य धनराशियाँ, जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन से पूर्णतः सम्बन्धित हो, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को देय समझी जाएगी;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 15 (घ)(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) सभी वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ, जो {उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या गठित किसी प्राधिकारी}[1] द्वारा के लिए अथवा के विरूद्ध संस्थित की गई हो अथवा की जानी हो, जो इस अधिनियम के द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से सम्बन्धित हो, विकास प्राधिकरण के लिए अथवा के विरूद्ध जारी रहेगी अथवा संस्थित की जाएगी;

{(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 {और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986}[5] की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन समस्त अपील, जो ऐसी घोषणा के दिनांक को, नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, अध्यक्ष को अन्तरित हो जायेंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसी समस्त अपील, जो नियंत्रित प्राधिकारी को सम्बोधित हो और जो उक्त घोषणा के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा ग्रहण की गई हो, अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई समझी जायेगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।}[2]

स्पष्टीकरण–– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[3] की धारा 139 की उपधारा (3) {या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों}[6] में विनिर्दिष्ट विकास निधि और उस निधि से सृजित सभी सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 14 में विनिर्दिष्ट {या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन उपबन्धों,}[6] कृत्यों के सम्बन्ध में {नगर निगम}[4] {या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण}[6] को उपगत सभी ऋण, दायित्व और कर्तव्य, उसके साथ की गई सभी संविदाएं और उसके द्वारा साथ अथवा के लिए किए जाने हेतु नियोजित सभी मामले और कार्य इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से सम्बन्धित समझे जाएंगे और खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) तद्नुसार लागू होंगे।

(7) यदि कोई विवाद किसी स्थानीय प्राधिकारिकी और किसी विकास प्राधिकरण के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है कि उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन से पूर्णतः सम्बन्धित, कोई ऋण, कर्तव्य अथवा दायित्व उपगत हुआ अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारिकी के द्वारा, के साथ अथवा के लिए कोई संविदा की गई थी अथवा कोई मामला और कोई कार्य किए जाने हेतु नियोजन किया गया था अथवा स्थानीय प्राधिकारी में कोई सम्पत्ति निहित थी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारिकी को कोई किराया, शुल्क अथवा अन्य धनराशि देय थी अथवा नहीं तो इसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13 वर्ष 1975 की धारा 15 (घ) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 15 (घ (3) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 11 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 42 (9) द्वारा अन्तःस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 42 (10) द्वारा अन्तःस्थापित।

(8) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित {नगर निगम}[2] {या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण}[3] का कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, विकास प्राधिकरण को गठित किए जाने के दिनाँक से ठीक पूर्व {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[1] के अध्याय 14 {या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986}[3] के अधीन उसके कृत्यों के सम्पादन हेतु, उस क्षेत्र में, जिसमें विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, पूर्ण नियोजित था अथवा नहीं तो वह राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

(9) उपधारा (3) और (4) की कोई भी बात {नगर निगम}[2] अथवा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट {या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण}[4] यथास्थिति, के किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक से एक माह के भीतर {नगर निगम}[2] अथवा ट्रस्ट {या राज्य सरकार}[4] को विकास प्राधिकरण का कर्मचारी न होने के अपने विकल्प से अवगत करा दे तथा उस निकाय द्वारा ऐसी संसूचना प्राप्त होने पर उसके अधीन उसका नियोजन तत्काल समाप्त हो जाएगा और उस निकाय के अधीन उसका पद समाप्त हो जाएगा तथा वह उस निकाय से निम्नवत् प्रतिकर पाने का हकदार होगा ––

(क) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन से ठीक पूर्व स्थायी क्षमता में नियुक्त था तो तीन माह के वेतन के बराबर;

(ख) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठित होने के दिनांक से पूर्व अस्थायी क्षमता में नियुक्त था तो एक माह के वेतन के बराबर।

स्पष्टीकरण–– इस उपधारा में 'वेतन' पद के अन्तर्गत महँगाई भत्ता, विशेष भुगतान अथवा अन्य कोई तत्समान सामयिक भत्ता अथवा भुगतान सम्मिलित है।

(10) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिसूचना, 1947 अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (3) अथवा उपधारा (5) के अधीन किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाएं विकास प्राधिकरण को अन्तरित होना, उसे उस अधिनियम अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर हेतु हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा ग्राह्य नहीं होगा।

(11) उपधारा (3) और (5) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् और विकास प्राधिकरण के गठित होने के दिनाँक से पूर्व किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति, वेतनवृद्धि, पेन्शन, भत्ता अथवा उसे प्रदान किया गया कोई अन्य लाभ, जो विकास प्राधिकरण के विचार में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व लागू सेवा शर्तों और निबन्धनों के अधीन सामान्य तौर पर न की गई होती अथवा प्रदान न की गई होती अथवा सामान्य तौर पर स्वीकार्य नहीं होती, विकास प्राधिकरण से अथवा किसी भविष्य निधि, पेन्शन निधि अथवा अन्य निधि अथवा निधि को संचालित करने वाले किसी प्राधिकारी से देय नहीं होंगे अथवा दावा किए जाने योग्य नहीं होंगे, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वेतनवृद्धि की अभिपुष्टि न कर दी गई हो अथवा पेन्शन भत्ता अथवा अन्य लाभ, यथास्थिति, को प्रदान किया जाते रहना, निदेशित न कर दिया गया हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 11 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 42 (11) द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 42 (12) द्वारा अन्तःस्थापित।

(12) उन व्यक्तियों को, जो विकास प्राधिकरण के गठन के दिनाँक से ठीक पूर्व, उपधारा (3) अथवा उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेन्शन, भविष्य ग्रेच्युटी अथवा अन्य तत्समान निधि के ट्रस्टी थे, किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन नाम–निर्देशित ट्रस्टियों से भिन्न, ऐसे ट्रस्टी व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(13) उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के प्रयोजनार्थ {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[4] के अध्याय 14 के अधीन {नगर निगम}[5] के सभी कृत्य और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के सभी कृत्य, उन कृत्यों से भिन्न, जो {''विशेष आवास परिषद् योजना''}[2] {और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन सभी कृत्यों}[6] से सम्बन्धित हो, इस अधिनियम के द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदेशित कृत्य समझे जाएंगे।

{(14) {उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[4] की धारा 365 में किसी बात के होते हुए भी, किसी सुधार स्कीम के लिए, जिसके सम्बन्ध में कृत्य उपधारा (13) के अधीन विकास प्राधिकरण को सौपे गये कृत्य समझे जायेंगे, भूमि और भूमि में हित के सभी अर्जन {31 दिसम्बर, 1982}[3] को या उसके पहले, कम से कम अधिनिर्णय देने के स्तर तक पूरे किये जायेंगे।}[1]

{(15) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए कोई कृत्य/कृत्यों अथवा कार्यवाहियों/कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अविधिमान्य नहीं होंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सम्पादित सभी कृत्य और कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्पादित किए गए कृत्य समझे जायेंगे।}[7]

निरसन और अपवाद

60–– (1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अध्यादेश, 1973 (उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 7 वर्ष 1973) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम 12 जून, 1973 को सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1976 की धारा 10 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 47 वर्ष 1976 की धारा 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 6 वर्ष 1982 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1997 की धारा 11 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2013 की धारा 42 (13) द्वारा अन्तःस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 42 (14) द्वारा बढ़ाया गया।